हिमाचल प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

(2024–25)

Annual Administrative Report

(2024-25)

अनुक्रमणिका

क्रम संख्या	विषय सूची	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	4
2.	स्वास्थ्य विभाग का प्रशासनिक ढांचा	5
3.	नियुक्ति एवं पदोन्नति का ब्यौरा	6
4.	स्वास्थ्य विभाग में मुख्य श्रेणियों के स्वीकृत्त एवम् भरे पदों का ब्यौरा	7–8
5.	प्रदेश में चिकित्सा संस्थानों का ढांचा तथा जिलावार ब्यौरा	9–11
6.	बजट का ब्यौरा	12
7.	चिकित्सा संस्थानों के भवन निर्माण का ब्यौरा	12
8.	स्वास्थ्य एवं अन्य सम्बन्धित सूचक	13
9.	उपचारित रोगियों का विवरण	14–15
10.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्र में की जा रही गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण	16–22
11.	**राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम**	
	(i) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	23–32
	(ii) तंबाकु नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP)	32
	(iii) डायलिसिस यूनिट कार्यक्रम (PMNDP)	32–33
	(iv) एल्डरली केयर प्रोग्राम (NPHCE)	34
	(v) पेलेटिव केयर प्रोग्राम (NPPC)	34
	(vi) बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम	34–38
	(vii) एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (Integrated Disease Surveillance Programme)	38–40
	(viii) आशा कार्यक्रम	40–41
	(ix) जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPCCHH)	41–42
	(x) राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम	42–43
	(xi) राष्ट्रीय दृष्टि विहीनता नियन्त्रण कार्यक्रम	43–44
	(xii) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (National Mental Health Programme)	44
	(xiii) परिवार नियोजन कार्यक्रम	44–45
	(xiv) एसपीरेशनल जिलें व ब्लॉक कार्यक्रम	45
	(xv) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम (National Leprosy Eradication Programme)	45–47
	(xvi) राष्ट्रीय क्षय–रोग उन्मुलन कार्यक्रम (National T.B. Elinimation Programme)	47–50
	(xvii) राष्ट्रीय एम्बुलैंस सेवा (National Ambulance Service)	50–51
12.	**अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रम**	
	(i) **राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम** (National Aids Control Programme)	52–57
	(ii) **राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना** (RSBY)	58–59

	(iii) **जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण प्रणाली** (Birth and Death Registration)	59–61
	(iv) सूचना, शिक्षा एवम् सम्प्रेषण कार्यक्रम	61–62
13.	**प्रशिक्षण कार्यक्रम**	
	(i) राज्य संस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिमहल, शिमला	62–65
	(ii) क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र छेब, कांगड़ा	66–67
14.	प्रदेश में राज्य , जिला तथा खण्ड स्तर के कार्यालयों में दूरभाष की सूची	68–71

1. प्रस्तावना

प्रदेश सरकार लोगों का जीवन स्तर सुधारने में कटिबद्ध है और इस दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं जिनमें आरोग्यकारी, निवारण एवम् पुनर्वासन जैसी सेवाएं सम्मिलित हैं, जो एक कल्याणकारी राज्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। स्वास्थ्य वितरण प्रणाली में सुधार, परिवार कल्याण, मातृ एवम् शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन के परिणाम–स्वरूप प्रदेश ने कुछ स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचकांकों में महत्वपूर्ण उपलब्धी प्राप्त की है। इन उपलब्धियों से प्रदेश सरकार की कटिबद्धता, जनता की सक्रिय भागीदारी व सहयोग और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वालों की निष्ठा व समर्पण का पता चलता है। हिमाचल प्रदेश की 90% जनसंख्या गांव में रहती है और इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य संस्थाओं में सुधार करना सरकार का मुख्य उद्देश्य है ताकि सभी को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल सके। यद्यपि राष्ट्रीय औसत की तुलना में हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य सूचक काफी बेहतर हैं फिर भी स्वास्थ्य सेवाओं में और अधिक सुधार के लिए विभाग कृत संकल्प है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां प्राप्त करने के पश्चात्, विभाग अब उपलब्धियों की द्वितीय कड़ी, ''सेवा की गुणवत्ता एवं कारगरता'' पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रहा है। प्रदेश में रोगों पर निगरानी रखने हेतु व संक्रामक रोगों पर नियन्त्रण के लिए एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम को लागू किया गया है। मातृ–शिशु स्वास्थ्य पर केन्द्रित आर.सी.एच.–II कार्यक्रम पहले ही आरम्भ किया जा चुका है तथा इन सभी प्रयासों को सार्थक बनाने के लिए प्रदेश नागरिक स्वास्थ्य प्रशासनिक क्षमता एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए निरंतर प्रयासरत है। जिसके अन्तर्गत स्वास्थ्य उप–केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के ढांचे को मजबूत किया जा रहा है तथा स्वास्थ्य सेवाओं में जनभागीदारी को बढ़ावा दिया गया है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य उद्देश्य 'सभी को स्वास्थ्य' के लक्ष्य को प्राप्त करना है। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सभी बाधाओं को हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि लोगों के जीवन में सुधार आ सके ।

2. स्वास्थ्य विभाग का प्रशासनिक ढांचा (Administrative Structure of Health Department)

प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रशासनिक ढांचे का विवरण इस प्रकार हैः–

राज्य–स्तर पर

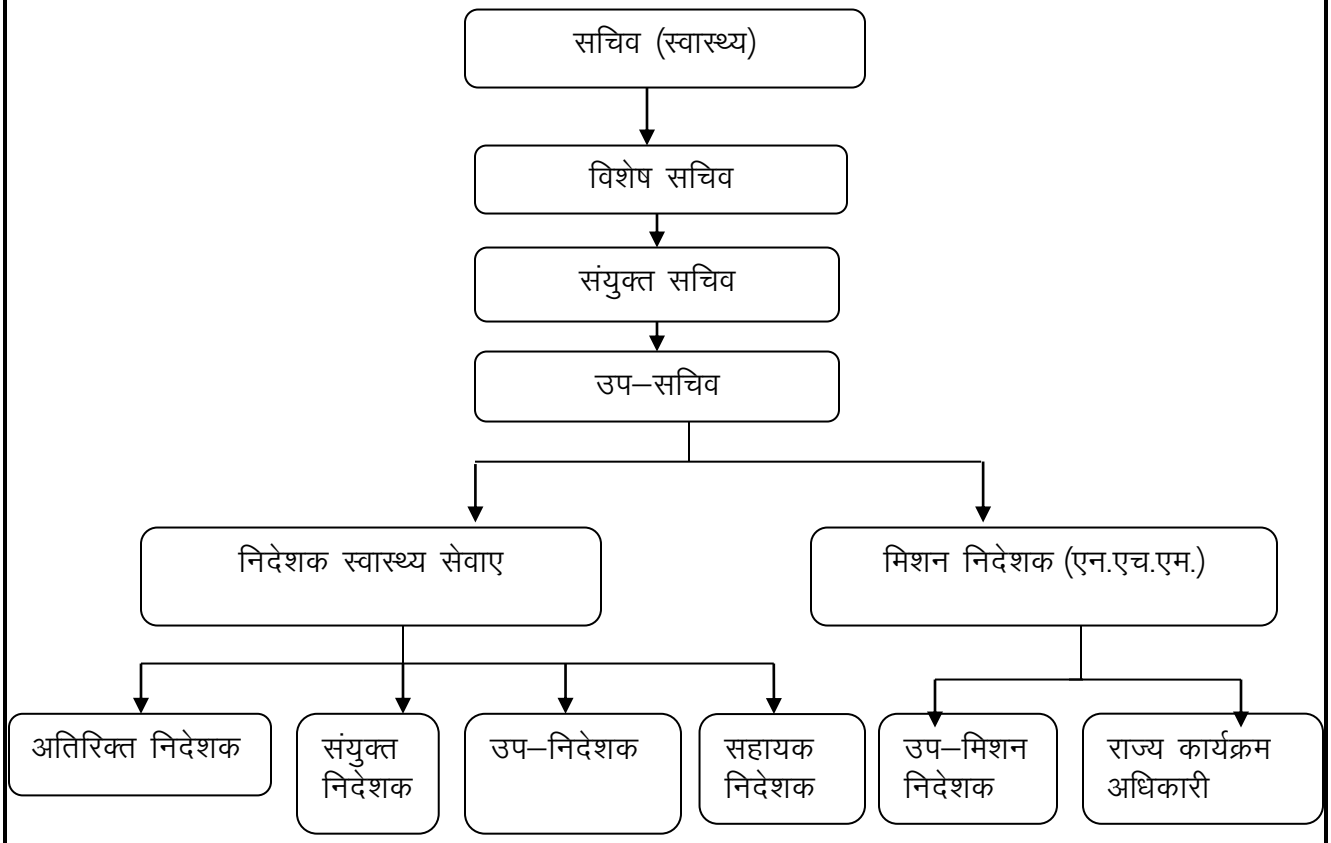

जिला–स्तर पर

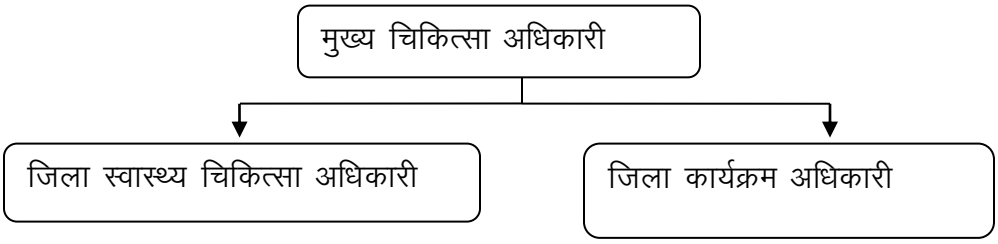

खण्ड–स्तर पर

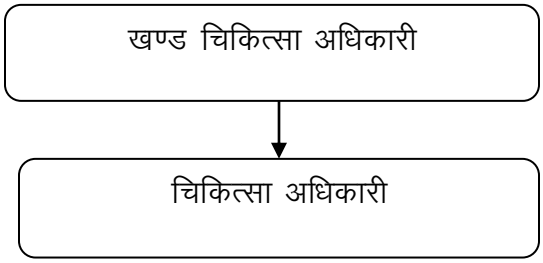

3. वर्ष 2024–25 में नई नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों का ब्यौरा

क्र0 सं0	पद का नाम	अनुबन्ध	नियमित
I	**नियुक्ति**		
1.	चिकित्सक	–	42
2.	परिचारिका	21	245
3.	सांख्यिकीय सहायक	–	1
4.	लिपिक	–	3
5.	कनिष्ट कार्यालय सहायक (IT)	107	12
6.	लैब एसिस्टैंट	4	15
7.	फार्मासिस्ट	32	173
8.	ओ.टी.ए.	61	17
9.	रेडियोग्राफर	–	3
11.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	–	5
12.	एम0एल0टी0 ग्रेड–II	37	113
13.	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	–	154

II	**पदोन्नति**	
क्र0 सं0	पद का नाम	संख्या
1.	वार्ड सिस्टर से मैट्रन	41
2.	स्टाफ नर्स से सिस्टर टियुटर	22
3.	स्टाफ नर्स से वार्ड सिस्टर	128
4.	पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता से पुरूष स्वास्थ्य पर्यवेक्षक	28
5.	ओ.टी.ए. से सी.एस.एस.डी. पर्यवेक्षक	3
6.	एम0एल0टी0 ग्रेड–II से एम0एल0टी0 ग्रेड–I	28
7.	फार्मासिस्ट से चीफ फार्मासिस्ट	32
8.	रेडियोग्राफर से वरिष्ट रेडियोग्राफर	25
9.	लिपिक/कनिष्ट सहायक से वरिष्ट सहायक	50
10.	वरिष्ट सहायक से अधीक्षक	25
11.	कनिष्ट आशुलिपिक से वरिष्ठ आशुलिपिक	2
12.	लैब एसिस्टैंट से सीनियर लैब तकनीशियन	6
13.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लैब एसिस्टैंट	3
14.	स्वास्थ्य शिक्षक से एम0ई0आई0ओ0	1

4. स्वास्थ्य विभाग में मुख्य श्रेणियों के स्वीकृत एवं भरे पदों का ब्यौरा इस प्रकार है :–

क्र0 सं0	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे पद	क्र0 सं0	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे पद
I	**प्रशासन**			III	**पैरामेडिकल स्टाफ**		
1.	निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं	1	1	24.	ऑपथैलमिक ऑफिसर	190	83
2.	मिशन निदेशक (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन)	1	1	25.	चीफ फार्मासिस्ट	138	114
3.	अतिरिक्त स्वास्थ्य निदेशक (प्रशासनिक)	1	1	26.	फार्मासिस्ट	1297	1017
4.	संयुक्त स्वास्थ्य निदेशक	4	3	27.	चीफ लैब तकनीशियन	44	41
5.	उप–स्वास्थ्य निदेशक	6	5	28.	सीनियर लैब तकनीशियन	987	545
6.	सहायक निदेशक (जनसांख्यिकी एवम् अनुसन्धान)	1	0	29.	लैब एसिस्टैंट	331	173
7.	सहायक निदेशक (सांख्यिकीय)	1	0	30.	सीनियर रेडियोग्राफर	43	36
8.	उप–नियंत्रक (वित्त एवं लेखा)	1	1	31.	रेडियोग्राफर	284	154
9.	सहायक नियंत्रक (वित्त एवं लेखा)	19	19	32.	सी.एस.एस.डी. पर्यवेक्षक	29	24
10.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	12	10	33.	ओ.टी.ए.	382	95
11.	चिकित्सा अधीक्षक	20	13				
12.	खंड चिकित्सा अधिकारी	80	67	**IV**	**मिनिस्ट्रीयल स्टाफ**		
13.	प्रधानाचार्य प्रशिक्षण	2	1	34.	प्रशासनिक अधिकारी	6	0
14.	चिकित्सक	3016	2659	35.	अधीक्षक ग्रेड –I	28	23
15.	सहायक निदेशक नर्सिंग	1	0	36.	अधीक्षक ग्रेड–II	118	112
II	**नर्सिंग**			37.	विधि अधिकारी	7	2
16.	नर्सिंग अधीक्षक	23	17	38.	वरिष्ठ सहायक	268	254
17.	पी0 एन0 ओ0	11	9	39.	लिपिक	639	340
18.	मैट्रन /उप /सहायक नर्सिंग अधीक्षक	121	115	40.	कनिष्ट कार्यालय सहायक (IT)	334	247
19.	सिस्टर टियुटर	46	44	41.	निजि सचिव	1	1
20.	वार्ड सिस्टर /नर्सिंग सिस्टर	700	679	42.	निजि सहायक	6	6
21.	स्टाफ नर्स	3918	3040	43.	वरिष्ठ आशुलिपिक	11	2
22.	दाई	481	247	44.	कनिष्ठ आशुलिपिक	16	0
23.	नर्सिंग औरडरली	55	40	45.	आशुलिपिक	75	20

1	2	3	4
46.	सांख्यिकीयविद्	11	6
47.	सांख्यिकीय सहायक	44	15
48.	कनिष्ठ सांख्यिकीय सहायक	14	2
V	**आईईसी एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता**		
49.	एम0ई0आई0ओ0	12	10
50.	स्वास्थ्य शिक्षक	102	60
51.	पुरूष स्वास्थ्य पर्यवेक्षक	423	245
52.	महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक	359	325
53.	पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता	2072	152
54.	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	2304	861

1	2	3	4
VI	**अन्य स्टाफ**		
55.	एसिस्टैंट मलेरिया ऑफिसर	17	0
56.	एसिस्टैंट लैपरोसी ऑफिसर	8	4
57.	लैपरोसी वर्कर	69	1
58.	फिजियोथिरैपिस्ट	41	15
59.	डाईटिशियन	13	1
60.	चालक	558	206
61.	कुक	14	14
62.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3079	1890

पदों का सृजन

क्र0 सं0 1	पद का नाम 2	**सृजन पदों की संख्या** **3**
1.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी	**02**
2.	चिकित्सा अधिकारी	**214**
3.	आकस्मिकता चिकित्सा अधिकारी	**9**
4.	स्पीच थेरेपिस्ट	**01**
5.	रेडियोग्राफर	**06**
6.	स्वास्थ्य शिक्षक	**01**
7.	ऑपथैलमिक ऑफिसर	**03**
8.	एम0एल0टी0 ग्रेड–2	**11**
9.	ओ0टी0ए	**11**
10.	फार्मासिस्ट	**10**
11.	कनिष्ट कार्यालय सहायक (IT)	**04**
12.	ऑपथैलमिक ऑफिसर	**07**
13.	महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक	**01**
14.	पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता	**05**
15.	अधीक्षक ग्रेड–II	**01**
16.	ई0सी0जी0 तकनीशियन	**07**
17.	ओडियोमैटिक तकनीशियन	**01**
18.	कैथ लैब तकनीशियन	**02**
19.	ब्लड तकनीशियन	**02**
20.	चतुर्थ क्षेणी कर्मचारी	**10**

5. प्रदेश में चिकित्सा संस्थानों का ढांचा तथा जिलावार ब्यौरा

क्र0 सं0 1	चिकित्सा संस्थान 2	संख्या 3
चिकित्सा संस्थान		
1.	चिकित्सा महाविद्यालय	6
2.	राज्य मातृ और शिशु चिकित्सालय	1
3.	एआईएमएसएस	1
4.	आंचलिक चिकित्सालय	3
5.	क्षेत्रीय चिकित्सालय	9
6.	नागरिक चिकित्सालय	91
7.	ई.एस.आई. चिकित्सालय	1
8.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	106
9.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	586
10.	ई.एस.आई. औषधालय/संस्थान	24
11.	स्वास्थ्य उपकेन्द्र	2116
	कुल	**2936**
विशिष्ट स्वास्थ्य संस्थाएं		
1.	मानसिक स्वास्थ्य एवम् पुनर्वास चिकित्सालय	1
2.	टी बी अस्पताल	2
3.	जिला क्षयरोग केन्द्र	12
4.	जिला क्षयरोग उपकेन्द्र	74
5.	माइक्रोस्कोपिक केन्द्र	218
6.	अस्थाई कुष्ठ रोग चिकित्सालय/वार्ड	3
7.	जिला आर.टी.आई. क्लिनिक	12
8.	आर.टी.आई. उप–क्लिनिक	59
अन्य सुविधाएं:		
1.	सी.टी.स्केन	20
2.	डायलिसिस केन्द्र	15
3.	कीमोथैरेपी	11
4.	कैथलैव	1
5.	विभिन्न चिकित्सा संस्थाओं में स्वीकृत बिस्तरों की संख्या	16699

प्रदेश में जिलावार चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, ई.एस.आई. औषधालयों तथा स्वास्थ्य उप–केन्द्रों का ब्यौरा 31–3–2025 तक इस प्रकार हैः–

क्र0 सं0	जिला	चिकित्सालय	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	ई.एस.आई. औषधालय/ संस्थान	स्वास्थ्य उप–केन्द्र
1.	बिलासपुर	5	7	37	1	120
2.	चम्बा	10	5	46	1	177
3.	हमीरपुर	6	2	32	1	150
4.	कांगड़ा	23	19	87	3	440
5.	किन्नौर	3	3	23	1	35
6.	कुल्लू	6	8	25	1	108
7.	लाहुल–स्पिति	3	1	16	1	37
8.	मण्डी	21	18	88	0	335
9.	शिमला	17	17	115	2	252
10.	सिरमौर	6	8	52	3	151
11.	सोलन	9	9	40	7	175
12.	ऊना	6	9	25	3	136
	हि0 प्र0	**115**	**106**	**586**	**24**	**2116**

स्वास्थ्य संस्थान जहां सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध करवाई है

क्र0 सं0	संस्थान का नाम
1.	इंदिरा गांधी चिकित्सालय शिमला
2.	डॉ0 आर0पी0जी0एम0सी0 टांडा
3.	डॉ0 वाई0एस0पी0 चिकित्सा महाविद्यालय नाहन
4.	पंडित जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय चम्बा
5.	राधा कृष्णन चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर
6.	लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सा महाविद्यालय नेरचोक
7.	आंचलिक चिकित्सालय धर्मशाला
8.	आंचलिक चिकित्सालय, मण्डी
9.	आंचलिक चिकित्सालय, शिमला
10.	क्षेत्रीय चिकित्सालय, बिलासपुर
11.	क्षेत्रीय चिकित्सालय, सोलन
12.	क्षेत्रीय चिकित्सालय, कुल्लू
13.	क्षेत्रीय चिकित्सालय, ऊना
14.	नागरिक चिकित्सालय, नूरपुर,

15.	नागरिक चिकित्सालय, पालमपुर,
16.	नागरिक चिकित्सालय, सुन्दरनगर,
17.	नागरिक चिकित्सालय, रोहडू
18.	नागरिक चिकित्सालय, रामपुर
19.	नागरिक चिकित्सालय, पांवटा साहिब
20.	नागरिक चिकित्सालय, नालागढ़

प्रदेश में भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य उप–केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर खोलने हेतु निर्धारित मापदण्ड का ब्यौरा इस प्रकार है :–

	जनसंख्या मापदण्ड (भारत सरकार)	राज्य में स्थिति
स्वास्थ्य उप–केन्द्र	3000	3454
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	20000	12472
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	80000	68949

ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य विभाग की सबसे छोटी इकाई स्वास्थ्य उप–केन्द्र होता है जिसके माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के समस्त कार्यक्रमों जैसे जननी शिशु सुरक्षा, टीकाकरण, परिवार कल्याण तथा छोटी–छोटी बीमारियों की रोकथाम तथा बचाव के लिए सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसके साथ–साथ इन स्वास्थ्य उप–केन्द्रों में कार्यरत महिला एवं पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों की जानकारी भी देते हैं ।

6. बजट का ब्यौरा (Budget Details)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनिमय तथा दन्त स्वास्थ्य विभाग को छोड़ कर वर्ष 2024–25 के बजट एवं व्यय का विवरण इस प्रकार है :–

मांग संख्या		बजट (करोड़ों में) (स्वीकृत)	संशोधित बजट	व्यय (करोड़ों में)
9	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1623.87	1758.63	1660.33
15	पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना	20.32	16.74	16.26
19	समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	3.06	6.80	6.72
24	लेखन एवं मुद्रण सामग्री	0.16	0.16	0.16
31	अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	155.73	154.97	136.01
32	अनुसूचित जाति उप योजना	284.08	257.39	241.20
कुल		**2087.22**	**2212.69**	**2060.68**

बजट 2025–26

मांग संख्या		बजट (करोड़ों में)
9	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (एलोपैथी)	1433.81
15	पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना	17.68
19	समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	3.07
20	ग्रामीण विकास	108.59
24	लेखन एवं मुद्रण सामग्री	0.12
28	शहरी विकास टीसीपी & एच	4.87
31	अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र उप–योजना	124.84
32	अनुसूचित जाति उप–योजना	224.30
	कुल . .	**1917.28**

7. चिकित्सा संस्थानों के भवन निर्माण का ब्यौरा

प्रदेश सरकार स्वास्थ्य संस्थानों को सरकारी भवन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से भवन निर्माण कार्य को प्राथमिकता दे रही है और इस कार्य के लिए बजट का प्रर्याप्त प्रावधान किया गया है। वर्ष 2023–24 में निर्माण कार्य के लिए Demand (9 & 32) 111.64 करोड़ रु0 की राशी का प्रावधान था तथा 111.55 करोड़ रुपये व्यय किये गए ।

8. स्वास्थ्य एवं अन्य सम्बन्धित सूचक

प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को प्राथमिकता देने व स्वास्थ्य ढांचे को विकसित करने के परिणामस्वरूप प्रदेश के स्वास्थ्य सूचकांकों में सकारात्मक परिणाम निकले हैं। ये सूचकांक राष्ट्रीय औसत से काफी बेहतर हैं ।

क्र0 सं0	पैरामीटर	राष्ट्रीय स्तर पर	हिमाचल प्रदेश	+/-
1	2	3	4	5
1.	जन्म दर (प्रति हजार जनसंख्या)	19.1	14.5	-4.6
2.	मृत्यु दर (प्रति हजार जनसंख्या)	6.8	6.9	+0.1
3.	शिशु मृत्यु दर (प्रति हजार जीवित जन्म)	26	17	-9
4.	कुल प्रजनन दर	2.0	1.6	-0.4
5.	जन्म के समय लिंग अनुपात (2019–2021 वर्षों में)	913	947	+34
6.	जीवन की प्रत्याशा दर (2018–2022 वर्षों में)	69.9	73.6	+3.7
	पुरूष	68.2	70.1	+1.9
	महिला	71.9	78.0	+6.1
7.	जनसंख्या 2011 के अनुसार			
	महिलाएं प्रति हजार पुरूष	943	972	+29
	0–6 आयुवर्ग में लिंग अनुपात	919	909	-10
	जनसंख्या का घनत्व	368	123	-245
	कुल जनसंख्या में से ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	68.8	90.00	+21.2
	साक्षरता दर प्रतिशतता (कुल)	72.99	82.80	+9.81
	पुरूष	80.89	89.53	+8.64
	महिला	64.64	75.93	+11.29

नमूना पंजीयन पद्धति (SRS 2022) के अनुमानों के अनुसार

9. उपचारित रोगियों का विवरण

(i) वर्ष 2024 में विभिन्न चिकित्सा संस्थाओं में उपचारित रोगियो का विवरण :–

जिला के नाम	पुरूष	महिला	बच्चे	अन्य लिगं	कुल रोगी	अन्तरंग रोगी	बहिरंग रोगी	कुल रोगी
बिलासपुर	343535	508372	149477	15	1001399	58657	942742	1001399
चम्बा	388918	543988	235185	0	1168091	115321	1052770	1168091
हमीरपुर	431761	625900	154454	47	1212162	124906	1087256	1212162
कांगड़ा	1284855	1732746	1011287	0	4028888	350531	3678357	4028888
किन्नौर	91708	112544	27099	0	231351	10249	221102	231351
कुल्लू	349017	490524	152743	4	992288	138652	853636	992288
लाहौल स्पिति	59444	55261	18819	1	133525	5920	127605	133525
मण्डी	1042774	1366829	391205	6	2800814	329655	2471159	2800814
शिमला	1174757	1357584	310826	86	2843253	423922	2419331	2843253
सिरमौर	473220	602035	228044	0	1303299	113790	1189509	1303299
सोलन	566239	705656	224173	140	1496208	103272	1392936	1496208
ऊना	398847	488021	130638	0	1017506	98850	918656	1017506
कुल रोगी	**6605075**	**8589460**	**3033950**	**299**	**18228784**	**1873725**	**16355059**	**18228784**

विभिन्न चिकित्सा सस्थाओं में किए गए एम आर आई, सी टी स्कैन, अल्ट्रासाउड एक्स रे का विवरणः–

एम आर आई	सी टी स्कैन	अल्ट्रा साउड	एक्स रे
11439	82779	263265	1504925

(ii) शल्य चिकित्सा उपचारित रोगियों का विवरण :–

	नए रोगी	पुराने रोगी
अन्तरंग रोगी	31310	58096
बहिरंग रोगी	248805	32658
योग . .	**280115**	**90754**

(iii) मनोविकार उपचारित रोगियों का विवरण :–

	नए रोगी	पुराने रोगी
अन्तरंग रोगी	7209	5453
बहिरंग रोगी	69028	64954
योग . .	**76237**	**70407**

(iv) fफिजियोथेरेपी उपचारित रोगियों का विवरण :–

	नए रोगी	पुराने रोगी
अन्तरंग रोगी	26534	3415
बहिरंग रोगी	40417	13119
योग . .	**66951**	**16534**

(v) प्रयोगशाला परीक्षणः–

मद्	रक्त	मल	मूत्र	बलगम	अन्य	योग
पैथोलोजिकल	118618	1380	208223	15313	496200	500564
बैक्टीरियोलोजिकल	666014	135	40250	172731	42263	705351
हैमटोलोजी	2641313	13376	39830	4524	84219	1939090
ब्लड कैमिस्ट्री	3976849	0	1474	0	285069	4263392
पेरासिटोलोजी	83600	54	1639	2839	2046	46083
अन्य	663198	862	30056	13087	161760	868963
योग	8149592	15807	321472	208494	1071557	9766922

(vi) करसना डायग्नोस्टिकस प्रयोगशाला परीक्षणः–

मद्	रक्त	मल	मूत्र	बलगम	अन्य	योग
पैथोलोजिकल	412945	3978	163708	565	0	581196
बैक्टीरियोलोजिकल	14092	0	1225	734	0	16051
हैमटोलोजी	1284130	2526	4207	0	76998	1367861
ब्लड कैमिस्ट्री	5474314	2474	276	0	156971	5634035
पेरासिटोलोजी	21256	0	340	0	0	21596
सेरोलोजी	0	0	0	0	3161	3161
अन्य	370025	0	12497	1000	1652082	2035604
योग	7576762	8978	182253	2299	1889212	9659504

10. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्र में की जा रही गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण

स्वस्थ परिवार ही स्वस्थ समाज का आधार है। ''पहला सुख निरोगी काया'' इस विचारधारा के साथ वर्तमान सरकार प्रदेश के दूरस्थ भागों तक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। विभाग राज्य के प्रत्येक वर्ग की स्वास्थ्य समस्या से निपटने के लिए आधुनिक सुपरस्पेशलिटी स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस मरीजों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु वचनवद्ध है।

प्रदेश में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए समय समय पर प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं, ताकि लोगों के जीवन में सुधार आ सके । इसी प्रयास में मण्डी, धर्मशाला, सोलन, कुल्लू, बिलासपुर व ऊना में जिला स्तर पर क्षेत्रीय डायग्नोस्टिक केन्द्रों की स्थापना की गई है। अब प्रदेश में 19 स्वास्थ्य संस्थानों में सी.टी.स्कैन की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है प्रदेश सरकार स्वास्थ्य संस्थानों एवं उपकरणों की मुरम्मत व रख–रखाव हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवा रही है।

हिमाचल प्रदेश के मैडिकल कॉलेजों से अपनी शिक्षा/प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले सभी चिकित्सकों को प्रदेश सरकार द्वारा रिक्त पदों पर अनुबन्ध के आधार पर नौकरी प्रदान की जा रही है।

विभाग ने यह भी निर्णय लिया है कि पुरूष व महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं को केवल स्वास्थ्य उप–केन्द्रों में ही तैनात किया जाये तथा स्टॉफ नर्सों की तैनाती उन्हीं स्वास्थ्य संस्थानों पर की जा रही है जहां पर अन्तरंग रोगी सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

चिकित्सकों व पैरा–मैडीकल स्टॉफ को स्थानान्तरण नीति के अनुसार ही सरकार के अनुमोदन के उपरान्त ही जनहित में प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष के द्वारा स्थानान्तरण के आदेश जारी किये जाते हैं। इस अवधि के दौरान प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा अर्जित उपलब्धियों की जानकारी इस प्रकार है।

निशुल्क दवाई योजना

विभाग ने मुख्यमंत्री निशुल्क दवाई योजना 28–9–2017 से आरम्भ की है, जिसके तहत आंचलिक चिकित्सालयों, क्षेत्रीय चिकित्सालयों, नागरिक चिकित्सालयों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 456 दवाईयां एवं 131 अन्य उपयोग होने वाली सामग्री, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 174 दवाईयां एवं 53 अन्य उपयोग होने वाली सामग्री और स्वास्थ्य केन्द्रों में 42 दवाईयां प्रदान की जा रही हैं। दवाईयों की खरीद विभाग ई–निविदा के माध्यम से रेट कॉन्ट्रेक्ट द्वारा सुनिश्चित कर रहा है।

औषधि क्रय नीति

वर्तमान समय में प्रचलित सरकार की औषधि क्रय नीति के अनुरूप औषधिक्रय के मद में उपलब्ध कुल वार्षिक बजट के विरूद्ध बजट के अधिकांश भाग की औषधियां निदेशालय स्वास्थ्य विभाग शिमला के माध्यम से क्रय की जा रही हैं। इस क्रय हेतु उपरोक्त निदेशालय हर वर्ष समाचार पत्रों के माध्यम से खुली निविदाएं आमन्त्रित करत है तथा सचिव (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में गठित "राज्य स्तरीय भण्डार क्रय समिति" की देख–रेख में गुणवत्ता व मूल्य की तुलना करने के पश्चात् औषधियों की दरें व स्त्रोत अनुमोदित किए जाते हैं। राज्य स्तरीय भण्डार क्रय समिति की सहायता हेतु विशेषज्ञों की एक उप–समिति का भी गठन किया गया है। नई नीति के अनुसार अब औषधि क्रय हेतु मांग पत्र रोगी कल्याण समिति के स्तर पर तैयार किया जा रहा है तथा इस हेतु औषधि क्रय के मद में उपलब्ध पूरे बजट को मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के माध्यम से उनको उपलब्ध करवाया जा रहा है। औषधि क्रय हेतु आबंटित कुल बजट के 15 प्रतिशत अंश को आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए निर्धारित किया गया है।

विभाग की इस क्रय नीति के चलते स्वास्थ्य विभाग उच्च गुणवत्ता की औषधियां अत्यंत प्रतियोगी व कम मूल्य पर क्रय करने में सक्षम हुआ है एवम् संकट–प्रबन्धन में अधिक दक्षता आई है, क्योंकि जीवन–रक्षक औषधियों की उपलब्धता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है।

स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा निगम

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा निगम का गठन अगस्त 2023 को किया गया। इसमें स्वास्थ्य मंत्री को अध्यक्ष, प्रधान सचिव / स्वास्थ्य सचिव को उपाध्यक्ष और 5 अन्य निदेशक बनाए गए, जिसमें एसीएस वित्त, निदेशक उद्योग, कंट्रोलर स्टोर, निदेशक स्वास्थ्य और प्रबंध निदेशक एचपीएमएससी शामिल है। राज्य चिकित्सा सेवा निगम सभी दवाओं, औषधियों, सर्जिकल, चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों, चिकित्सा उपकरणों, मशीनरी और सेवाओं की खरीद और वितरण के लिए राज्य खरीद एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है।

स्थाई विभागीय क्रय समिति

स्वास्थ्य विभाग में उपकरणों की खरीद हेतु सचिव (स्वास्थ्य) हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में स्थाई विभागीय क्रय समिति का गठन किया गया है। क्रय समिति की देख–रेख में ही उपकरणों का क्रय किया जा रहा है तथा इस समिति में विशेषज्ञ चिकित्सकों को भी आमन्त्रित किया जाता है। जो उपकरण/मशीनरी आदि स्वास्थ्य विभाग में क्रय की जानी होती है उसके लिए समाचार–पत्रों के माध्यम से खुली निविदाएं आमन्त्रित कर गुणवत्ता व दर की तुलना कर स्त्रोतों को अनुमोदित किया जाता है। वर्ष 2018–19 में हिमाचल प्रदेश में जैम पोर्टल शुरू किया गया है, जिसके तहत विभाग ई–निविदा से औषधि क्रय कर रहा है।

प्रसव–पूर्व सुविधा केन्द्रों का पंजीकरण

पिछले दशक में प्रदेश में महिला पुरूष अनुपात में जो गिरावट आई थी उसमें इस दशक में वृद्धि दर्ज की गई। यह अनुपात अब 968 से 972 हो गया है । 0–6 आयु वर्ग में भी लिंग अनुपात में वृद्धि हुई है अब यह 896 से 909 हो गया है । भ्रूण हत्या को रोकने के लिए विभाग ने कई कदम उठाए हैं और ''प्रसव पूर्व निदान केन्द्रों" का पंजीकरण पूरे प्रदेश में अनिवार्य कर दिया गया है। गर्भावस्था में बच्चे का लिंग बताना सम्बंधित विधान के अन्तर्गत एक अपराध है इसका प्रचार–प्रसार लगातार किया जा रहा है।

पंचायती राज और स्वास्थ्य कार्यक्रम

विभाग की एक और उपलब्धी, पंचायती राज को स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों के साथ जोड़ना है। अच्छा स्वास्थ्य अनेक बातों पर निर्भर करता है, जैसे पर्याप्त भोजन, आवास व्यवस्था, मूल सुविधाएं, पीने के साफ पानी की उपलब्धता, सुचारू जीवन शैली, पर्यावरण प्रदूषण तथा संक्रामक रोगों के प्रकोप से बचाव इत्यादि। अच्छे स्वास्थ्य की सीमा महज चिकित्सक की देख–रेख से कहीं अधिक विस्तृत और विशाल है।

इसके लिए पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया है। इस समिति में स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों जैसे महिला एवं बाल विकास, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा इत्यादि विभागों के सदस्य और कुछ मनोनीत सदस्य सम्मिलित हैं।

सामुदायिक वित्तीय प्रबन्धन

सामुदायिक वित्तीय प्रबन्धन द्वारा वित्त साधन जुटाना इसलिए ज़रूरी समझा जा रहा है कि बढ़ती हुई तकनीक से लैस सरकारी अस्पताल भी ऐसे हों, जो गैर–सरकारी चिकित्सालयों की बराबरी कर सकें। इसके लिए सरकार ने आंचलिक /क्षेत्रीय/नागरिक चिकित्सालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ''रोगी कल्याण समितियों" का गठन किया है। यह समितियां अपने आप में पूर्ण स्वायत्त हैं और समुदाय से वित्त जुटा कर अस्पताल को बेहतर बनाने में सक्षम हैं।

विकेन्द्रीकरण के आधार पर स्थानीय निर्णय, स्थान विशेष पर लिए जाने के अधिकार से रोगियों के कल्याण हेतु यह एक प्रगतिशील पग है। इस समय प्रदेश में आंचलिक/क्षेत्रीय/ नागरिक चिकित्सालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 790 रोगी कल्याण समितियां पंजीकृत की गई हैं।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से भारत सरकार प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत चिकित्सा संस्थाओं को सीधे रूप से उपकरण तथा अन्य सम्बन्धित सामग्री उपलब्ध करवा

रही है। विभिन्न स्वास्थ्य सूचकों में सुधार लाने हेतु कार्यक्रम के अन्तर्गत चिकित्सा संस्थाओं में 24 घंटे प्रसव की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए चरणबद्ध तरीके से चिकित्सा संस्थानों का चयन किया गया है।

प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि स्वास्थ्य प्रबन्धन और सूचना प्रणाली में सूचना विज्ञान तकनीकी को आरम्भ किया जाएगा। इसके साथ–साथ प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के कार्यालयों व चिकित्सा खण्डों में भी कम्प्यूटर उपलब्ध करवा दिये गये हैं और इन्हें प्रबन्धन सूचना प्रणाली से जोड़ा गया है। प्रदेश में बेहतर तथा सभी के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए स्वास्थ्य देख–रेख कार्यक्रमों को पुनर्गठित एवम् पुनर्भिविन्यासित किया गया है। विभाग राज्य में चिकित्सा संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए इन में नवीनतम उपकरण तथा विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध करवा रही है ताकि लोगों को विशेषज्ञता–युक्त सेवाओं को उपलब्ध करने के लिए राज्य से बाहर न जाना पड़े।

स्वास्थ्य कर्मियों की कमी की पूर्ति हेतु प्रयास

प्रदेश में चिकित्सा संस्थाओं में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया समय–समय पर की जा रही है। इसके साथ–साथ विभिन्न चिकित्सा संस्थाओं में मैडीकल एवम् पैरा–मैडीकल कर्मियों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों को इन्दिरा गांधी मैडीकल कॉलेज शिमला, राज्य संस्थान, स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण परिमहल, शिमला तथा क्षेत्रीय परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र छेब, कांगड़ा में विभिन्न प्रशिक्षणों का आयोजन किया जा रहा है। चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए चिकित्सकों की नियुक्तियां समय–समय पर की जा रही हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों की कमी से निपटने के लिए सरकार चिकित्सकों को विशेष प्रशिक्षण के लिए प्रदेश में तथा प्रदेश से बाहर प्रशिक्षण देने के लिए प्रयत्नशील है। प्रदेश में चिकित्सा संस्थाओं में परिचारिकाओं की कमी को पूरा करने के लिए सरकार कारगर नीति तैयार कर रही है ताकि अधिक से अधिक नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र/संस्थान खोलने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा सके ।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश उत्तरी भारत में अग्रिम स्थान अर्जित करने वाला राज्य माना जाता है और भारत के पहाड़ी राज्यों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए विकास के लिए आदर्श राज्य बनने में अग्रसर है। प्रशासन को प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से विभाग ने वित्तीय एवम् प्रशाासनिक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया है और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक शक्तियों को प्रत्यायोजित किया गया है।

रोगियों को सही दवाईयां मिल पाना सुनिश्चित करने और एक समान दवाईयों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के उददेश्य से प्रदेश में आवश्यक दवा–नीति तैयार की गई है। इस नीति के अन्तर्गत दवाईयां इस तरह से रखी जा रही हैं ताकि उपलब्ध दवाईयों की धनराशि से दवाइयों की मांग की अधिकतम पूर्ति की जा सके।

प्रदेश सरकार मलेरिया, कुष्ठ रोग, पोलियो, गिल्लड़ इत्यादि रोगों के उन्मूलन तथा अन्य बीमारियों जैसे एड्स, मधुमेह, पानी से उत्पन्न होने वाली बीमारियों इत्यादि के मामलों में कमी लाने के लिए वचनबद्ध है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार अधिक संसाधन जुटा रही है। प्रदेश में इन संसाधनों की प्राप्ति आन्तरिक तथा बाह्य स्त्रोतों से की जा रही है। क्षय–रोग तथा एड्स रोग नियन्त्रण कार्यक्रमों के लिए विश्व–बैंक से सहायता मिल रही है।

चिकित्सालयों में सुरक्षा

चिकित्सालयों में सुरक्षा, रोगियों से मिलने वाले व्यक्तियों के प्रवेश को नियन्त्रित और अवांछनीय तत्वों के प्रवेश पर रोक लगाने, भीड़ को नियन्त्रित करने, जिससे रोगियों तथा सेवाएं प्रदान करने वालों को असुविधा न हो, को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से सरकार ने 100 व इससे अधिक बिस्तरों की संख्या वाले चिकित्सालयों में सुरक्षा का कार्य कानूनन गठित व पंजीकृत निजी सुरक्षा एजैंसियों तथा गृह रक्षा विभाग को सौंपा गया है।

प्रोत्साहन राशि

(क) अनुबन्ध पर नियुक्तियों के लिए सामान्य चिकित्सकों को विशेष प्रोत्साहन राशि :–

(i) चम्बा जिला के पांगी, भरमौर तथा तीसा, जिला लाहौल–स्पिति के सभी खण्ड, किन्नौर जिला के सांगला, पुह तथा निचार, जिला शिमला के चिड़गांव, नेरवा तथा टिक्कर और मंडी जिला के चौहार घाटी के पधर खण्ड में अनुबन्ध पर नियुक्तियों के लिए सामान्य चिकित्सकों को विशेष प्रोत्साहन पैंतीस हजार (35,000) रुपये प्रति माह का प्रावधान है।

(ii) कन्नौर जिला के निचार खण्ड के भावानगर, कुल्लू जिला के निरमण्ड तथा आनी, मंडी जिला के करसोग और जंजैहली, चम्बा जिला के पुखरी, चौरी, किहार तथा समोट, सिरमौर जिला के शिलाई तथा संगड़ाह, कागड़ा जिला के महाकाल और जिला शिमला के ननखड़ी, मतियाना, कोटखाई तथा कुमारसैन खण्डों में यह प्रोत्साहन राशि तीस हजार (30,000) रुपये प्रति माह का प्रावधान है।

(iii) राज्य के अन्य मेडिकल खण्ड (उपरोक्त को छोड़कर) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय में यह प्रोत्साहन राशि बीस हजार (20,000) रुपये प्रति माह का प्रावधान है ।

(ख) अनुबन्ध पर नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों (OBG, Surgery, Anaesthesia, Paediatrics, Radiologist, Medicine, Ortho, Eye and ENT only) को विशेष प्रोत्साहन राशि :–

(i) चम्बा जिला के पांगी, भरमौर तथा तीसा, जिला लाहौल–स्पिति के सभी खण्ड, किन्नौर जिला के सांगला, पूह तथा निचार, जिला शिमला के चिड़गांव, नेरवा तथा टिक्कर और मंडी जिला के चौहार धाटी के पधर खण्ड में अनुबन्ध पर नियुक्तियों के लिए विशेष प्रोत्साहन राशि पचपन हजार (55,000) रुपये प्रति माह का प्रावधान है।

(ii) किन्नौर जिला के निचार खण्ड के भावानगर, कुल्लू जिला के निरमण्ड तथा आनी, मंडी जिला के करसोग और जंजैहली, चम्बा जिला के पुखरी, चौरी, किहार तथा समोट, सिरमौर जिला के शिलाई तथा संगड़ाह, कागड़ा जिला के महाकाल और जिला शिमला के ननखड़ी, मतियाना, कोटखाई तथा कुमारसैन खण्डों में यह प्रोत्साहन पैंतालीस हजार (45,000) रूपये प्रति माह का प्रावधान है।

(iii) राज्य के अन्य मेडिकल खण्ड (उपरोक्त को छोड़ कर) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय में यह प्रोत्साहन राशि पैंतीस हजार (35,000) रुपये प्रति माह का प्रावधान है।

आदर्श स्वास्थ्य संस्थान

माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा बजट भाषण 2024–25 में प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में एक स्वास्थ्य संस्थान को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई थी।

उपरोक्त बजट आश्वासन के अनुसरण हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में कुल 70 स्वास्थ्य संस्थान (प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 01 स्वास्थ्य संस्थान, भरमौर, लाहौल और स्पिति विधानसभा क्षेत्र में 02 स्वास्थ्य संस्थानों) को ''आदर्श स्वास्थ्य संस्थान'' के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन 70 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों के विकसित होने से स्थानीय निवासियों की जिला अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों पर निर्भरता कम हो रही है व लोग अपने नजदीकी स्वास्थ्य संस्थान में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।

इन आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 134 प्रकार के लैब टेस्ट की सुविधा के साथ 06 विशेषज्ञ चिकित्सक (मेडिसन, सर्जरी, स्त्री रोग, बाल चिकित्सा, ऐन्सथिसियॉलोजी व रेडियॉलोजी) के साथ मेडिकल स्टॉफ, अल्ट्रासाउंड और डिजिटल एक्स–रे की सुविधाएं उपलबध करवाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त केवल चयनित आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में ही चरणबद्ध तरीके से नवीनतम अत्याधुनिक एम.आर.आई. व सीटी स्कैन की सुविधाएं भी उपलबध करवाई जानी प्रस्तावित हैं। वर्तमान में प्रत्येक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान में स्वीकृत पदों के विरूद्ध 06 विशेषज्ञ डॉक्टर, 08 स्टॉफ नर्सिज, 02 ऑपरेशन थिएटर ऐसिसटेंट व अन्य पैरामेडिकल स्टॉफ की नियुक्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रयास कर रहा है।

माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा बजट भाषण 2024–25 की घोषणा अनुसार प्रत्येक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान में मशीनरी और उपकरणों की खरीद हेतु चरणबद्ध तरीके से ₹ 1.00 करोड़ प्रदान किये जाएंगे। प्रथम चरण में 52 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों (6 आदर्श संस्थानों को PM- ABHIM के अन्तर्गत, 30 आदर्श संस्थानों को NHM द्वारा, 16 आदर्श संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा) में मशीनरी और उपकरणों की खरीद हेतु बजट प्रवाधान किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2025–26 में 16 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों के लिए ₹ 15.36 लाख की राशि प्रदान की जा चुकी है।

प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों के रूप में विकसित किए जाने वाले प्रस्तावित अस्पतालों का नामवार व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार ब्यौरा निम्न प्रकार है–

क्र0 सं0	जिले का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	स्वास्थ्य संस्थान का नाम	क्र0 सं0	जिले का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	स्वास्थ्य संस्थान का नाम
1.	**बिलासपुर**	घुमारवी	सी.एच.घुमारवी	25.		ज्वाला जी	सी.एच. ज्वाला जी
2.		बिलासपुर सदर	आर.एच. बिलासपुर	26.		जसवां–प्रागपुर	सी.एच. डाडासीबा
3.		श्री नैना देवी जी	सी.एच. घवांडल	27.		नूरपुर	सी.एच. नूरपुर
4.		झंडूता	सी.एच.सी. झंडूता	28.		ज्वाली	सी.एच. ज्वाली
5.	**चंबा**	भरमौर	सी.एच. भरमौर	29.		फतेहपुर	सी.एच. फतेहपुर
6.		भरमौर	सी.एच. किलाड़	30.		इंदौरा	सी.एच. इंदौरा
7.		डलहौजी	सी.एच. किहार	31.	**किन्नौर**	किन्नौर	आर.एच. रिकोंगपियो
8.		भटियात	सी.एच.च्वारी	32.	**कुल्लू**	कुल्लू	आर.एच. कुल्लू
9.		चंबा	सी.एच.सी. साहू	33.		मनाली	सी.एच. मनाली
10.		तीसा	सी.एच. तीसा	34.		बंजार	सी.एच. बंजार
11.	**हमीरपुर**	भोरंज	सी.एच. भोरंज	35.		आनी	सी.एच. आनी
12.		हमीरपुर	सी.एच. टौणीदेवी	36.	**लाहौल और स्पिति**	केलांग	आर.एच. केलांग
13.		सुजानपुर	सी.एच. सुजानपुर	37.		केलांग	सी.एच. काजा
14.		बड़सर	सी.एच. बड़सर	38.	**मंडी**	करसोग	सी.एच. करसोग
15.		नादौन	सी.एच. नादौन	39.		सेराज	सी.एच. बगसैयड
16.	**कांगड़ा**	कांगड़ा	सी.एच.सी. तियारा	40.		सुंदरनगर	सी.एच. सुंदरनगर
17.		धर्मशाला	जेड.एच. धर्मशाला	41.		नाचन	सी.एच. गोहर
18.		शाहपुर	सी.एच. शाहपुर	42.		बल्ह	सी.एच. रिवालसर
19.		नगरोटा बगवां	सी.एच. नगरोटा बगवां	43.		सरकाघाट	सी.एच. सरकाघाट
20.		पालमपुर	सी.एच. पालमपुर	44.		मंडी सदर	जेड.एच. मंडी
21.		जयसिंह पुर	सी.एच. जयसिंहपुर	45.		दरंग	सी.एच. पधर
22.		बैजनाथ	सी.एच. बैजनाथ	46.		धर्मपुर	सी.एच. धर्मपुर
23.		सुलाह	सी.एच. थुरल	47.		जोगिंदरनगर	सी.एच. जोगिंदरनगर
24.		देहरा	सी.एच. देहरा	48.	**शिमला**	शिमला शहरी	डीडीयू जेड.एच. शिमला

49.	**शिमला**	शिमला ग्रामीण	सी.एच.सुन्नी	60.		नाहन	पी.एच.सी. धगेरा
50.		कसुम्पटी	सी.एच.जुन्गा	61.	**सोलन**	अर्की	सी.एच. अर्की
51.		ठियोग	सी.एच. ठियोग	62.		सोलन	सी.एच.सी सायरी
52.		रामपुर	एम.जी.एम.एस.सी. खनेरी (रामपुर)	63.		कसौली	सी.एच. धर्मपुर
53.		रोहडू	सी.एच. रोहडू	64.		दून	सी.एच.बद्दी
54.		चौपाल	सी.एच. चौपाल	65.		नालागढ़	सी.एच.सी. नालागढ़
55.		जुब्बल कोटखाई	सी.एच.सी. कोटखाई	66.	**ऊना**	हरोली	सी.एच. हरोली
56.	**सिरमौर**	पच्छाद	सी.एच. सराहन	67.		चिंतपुरनी	सी.एच. अंब
57.		श्री रेणुका जी	सी.एच. संगड़ाह	68.		कुटलैहड़	सी.एच.सी. थाना कलां
58.		शिलाई	सी.एच. शिलाई	69.		गगरेट	सी.एच. सी. दौलतपुर
59.		पांवटा	सी.एच. पांवटा साहिब	**70**		ऊना	आर.एच. ऊना

दृष्टि हिमाचल प्रदेश–2030 (राज्य दूरदर्शिता दस्तावेज)

हिमाचल प्रदेश में सतत् विकास के लक्ष्यों (SDGs) को कार्यान्वयन और सम्बंधित राज्य स्तरीय योजनाओं की निगरानी के लिए योजना विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। वर्ष 2019 में, राज्य दृष्टि दस्तावेज (''**दृष्टि हिमाचल प्रदेश–2030, सतत् विकास लक्ष्य**'') विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और प्रगति की निगरानी के लिए तैयार किया गया था। जिसके अन्तर्गत अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग राज्य में सभी सांख्यिकीय गतिविधियों के समन्वय के लिए नोडल एजेंसी है। अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग के सहयोग से योजना विभाग ने शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान (HIPA) में संबंधित विभागों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग राज्य में सतत विकास लक्ष्य–3 के समग्र कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार नोडल विभाग है। दृष्टि हिमाचल प्रदेश– 2030 के अनुसार, राज्य मे सतत् विकास लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी के लिए समय सीमा 2022 और 2030 तय की गई है।

हिमाचल प्रदेश में सतत् विकास लक्ष्य–3 की वर्तमान प्रगति

''दृष्टि हिमाचल प्रदेश–2030'' के अनुसार राज्य द्वारा अपनाए गए सभी सतत् विकास लक्ष्य–3 संकेतकों का उल्लेख, समय–सीमा और प्रगति के साथ नीचे दी गई तालिका में किया गया है :–

SDGs targets H.P. as per Drishti Himachal Document

Sl. No.	Key Health Indicator	SDG target by 2022 (State)	Current Position	Target by 2030	Remarks/ issue
1.	MMR	<45	46	<25	On Track
2.	Birth attended by SBA	90%	95.68	100	Achieved
3.	IMR	22	17	10	Achieved

4.	HIV	90% ART	100%	>90%	Achieved
1	2	3	4	5	6
5.	TB incidence	<100	211	<20	Off Track
6.	NCD deaths	50	Report awaited	40	On Track
7.	De-addiction facilities	DH+CH+CHC-193	101	PHC-538	Off Track
8.	Trauma Care	All CHCs	<50%	100%CHC+PHC	Off Track
9.	Immunization	100	94%	100	On Track
10.	Tobacco	17%	11.6%	5	Achieved
11.	Disaster Management	Training up to block level	<25%	100%	Off Track

Himachal ranks 7th in Health index 2021 in India

11. राष्ट्रीय कार्यक्रम (National Programme)

विभाग में चलाए जा रहे विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों का ब्यौरा इस प्रकार हैः–

(i) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission)

भारत सरकार ने ग्रामीणजनों, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों, महिलाओं और बच्चों को व्यापक समाकलित स्वास्थ्य देख–रेख प्रदान करने के उद्देश्य से देशभर में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2005–2012) आरम्भ किया गया था। इसके उपरान्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरूआत भारत सरकार द्वारा साल 2013 में की थी, यह मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) और राष्ट्रीय मिशन (NUHM) को मिलाकर बना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में, राज्य और जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं के सशक्तिकरण के लिए तकनीकी कार्यक्षमताओं तथा स्वच्छता व साफ–सफाई के साथ स्वास्थ्य के समेकन को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त परिव्यय की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रमों के विकेन्द्रीकरण और निधियों के प्रवाह के साथ यह स्वास्थ्य के जिला प्रबन्धन के लिए –सर्वशिक्षा अभियान की तरह ही भूमिका तैयार करेगा ।

इस मिशन के अन्तर्गत मुख्य लक्ष्य निम्न प्रकार से हैं :–

- प्रदेश को मलेरिया मुक्त करना और इससे होने वाली मृत्यु को शून्य करना है
- काला अजार मुक्त करना एवं लगातार ऐसी स्थिति बनाये रखना
- हिमाचल प्रदेश में कुष्ठ रोग की व्याप्ति दरः 0.20 / 10,000 से भी कम है और इस रोग को समाप्त किया जाना है।
- क्षय रोग डॉट सेवायेंः समूची मिशन अवधि के दौरान 85 प्रतिशत उपचार दर बनाए रखना
- प्रथम सन्दर्भित रेफरल इकाइयों का उपयोग, जो कि 20 प्रतिशत से कम है, बढ़ाकर 75 प्रतिशत तक लाना।

इस मिशन के अंतर्गत निम्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैंः–

जननी–शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

15 अगस्त, 2011 से जननी–शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का विधिवत शुभारम्भ किया गया। सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सभी गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को निम्नलिखित सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं :–

निःशुल्क जांच.––सभी गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य संस्थान में पंजीकरण करवाने से लेकर शिशु जन्म तक सभी प्रकार की जांच निःशुल्क प्रदान की जा रही है।

निःशुल्क परीक्षण.––गर्भावस्था के दौरान खून, पेशाब टेस्ट व अल्ट्रासोनोग्राफी आदि सभी परीक्षण निःशुल्क किये जा रहे हैं।

निःशुल्क दवाईयां.––गर्भावस्था के दौरान सभी आवश्यक दवाईयां निःशुल्क दी जा रही हैं।

निःशुल्क आहार.––अस्पताल में सामान्य प्रसव के दौरान 3 दिन तथा ऑप्रेशन से प्रसव के दौरान 7 दिनों तक निःशुल्क आहार दिया जा रहा है।

निःशुल्क वाहन की सुविधा.––गर्भावस्था के दौरान घर से स्वास्थ्य संस्थान आने के लिए राष्ट्रीय एम्बुलैंस स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत निःशुल्क एम्बुलैंस सेवा 108 व जटिलता होने पर एक स्वास्थ्य संस्थान से दूसरे स्वास्थ्य संस्थान तक निःशुल्क एम्बुलैंस सेवा तथा वापिस घर पहुंचाने के लिए जननी एक्सप्रैस 102 वाहन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।

निःशुल्क प्रसव.––सामान्य प्रसव व आप्रेशन द्वारा प्रसव करवाने पर किसी भी अस्पताल में शुल्क नहीं लिया जा रहा है।

नवजात शिशु के लिए एक साल तक निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा.––जन्म से एक वर्ष की आयु तक शिशु को प्रदेश के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में मुफ्त जांच व उपचार की सुविधा दी जा रही है।

जिलावार संस्थागत प्रसव 2024–25

जिला	संस्थागत प्रसव	घरेलु प्रसव	कुल प्रसव	प्रतिशतता
बिलासपुर	3175	13	3188	99.59
चम्बा	5243	1689	6932	75.63
हमीरपुर	6401	17	6418	99.74
कांगड़ा	15284	74	15358	99.52
किन्नौर	176	14	190	92.63
कुल्लू	4766	110	4876	97.74
लाहौल स्पिति	31	16	47	65.96
मण्डी	9085	215	9300	97.69
शिमला	12368	86	12454	99.31
सिरमौर	5689	400	6089	93.43
सोलन	9368	125	9493	98.68
ऊना	5988	35	6023	99.42
हि0 प्र0	77574	2794	80368	96.52

भारत सरकार ने एन0एच0एम0 के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार को 11 मातृ एवं शिशु अस्पताल विंग को मंजूरी दी है जिनमें से 5 कार्यशील हैं। मातृ एवं शिशु अस्पताल विंग की नवीनतम स्थिति इस प्रकार है :–

क्र0 सं0	संस्थान का नाम	बिस्तरों की संख्या	काम की शुरूआत	कार्यकारी एजेंसी	पूर्ण कार्य की प्रतिशतता	टिप्पणी
1.	के0एन0एच0	100	सितंबर 2013	एच0पी0पी0डब्ल्यू0डी0	100%	कार्यशील
2.	सी0एच0 सुन्दरनगर	50	सितंबर,2017	सी0पी0डब्ल्यू0डी0	100%	कार्यशील
3.	जेड0एच0 मंडी	100	अप्रैल 2017	एच0एस0सी0सी0	100%	कार्यशील
4.	आर0एच0 कुल्लू	100	फरवरी 2019	बी0एस0एन0एल0	100%	कार्यशील
5.	आर0एच0 बिलासपुर	50	अप्रैल 2021	एच0पी0पी0डब्ल्यू0डी0	100%	कार्यशील
6.	डा0 आर0पी0जी0एच0सी0, टांडा	200	सितंबर 2019	सी0पी0डब्ल्यू0डी0	80%	कार्य प्रगति पर है।
7.	सी0एच0 नूरपूर	50	दिसंबर 2019	बी0एस0एन0एल0	90%	कार्य प्रगति पर है।

8.	आर0एच0 ऊना	100	दिसंबर 2019	एच0पी0पी0डब्ल्यू0डी0	95%	कार्य प्रगति पर है।
9.	डा0 वाई.एस.पी.जी.एम.सी., नाहन	50	एफ0सी0ए0 अनुमोदन लंबित	सी0पी0डब्ल्यू0डी0	NA	कार्य शुरू नहीं हुआ है।
10.	आर0एच0 सोलन	50	ड्राइंग लंबित	एच0पी0पी0डब्ल्यू0डी0	NA	कार्य शुरू नहीं हुआ है।
11.	आर0एच0 हमीरपुर	100	ड्राइंग लंबित	एच0पी0पी0डब्ल्यू0डी0	NA	कार्य शुरू नहीं हुआ है।

.

जननी सुरक्षा योजना (Janani Suraksha Yojana)

नगद आर्थिक सहायता किसे मिलेगी :–

1. गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिलाएं(बी.पी.एल. परिवार जिनका प्रसव घर पर हो या किसी भी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में हो या किसी भी मान्यता प्राप्त गैर–सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में हो।

2. अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र की महिलाएं जिनका प्रसव किसी भी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान या मान्यता प्राप्त गैर–सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में हो।

कितनी आर्थिक सहायता मिलेगी

सरकार ने जननी सुरक्षा कार्यक्रम (JSY) को 17 दिसंबर, 2019 को जननी सुरक्षा कार्यक्रम प्लस (JSY PLUS) में अपग्रेड कर दिया है और प्रोत्साहन राशि के वितरण के लिए वित्तीय मानदंडों को संशोधित किया है। बी0पी0एल0 गर्भवती महिलाओं के मामले में होम डिलीवरी के लिए रु0 500/– का वित्तीय लाभ और रु0 1100/– का वित्तीय लाभ ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र की बी0पी0एल0, अनुसूचित जाति और अनुसिूचित जनजाति की गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव करवाने पर दिया जा रहा है।

आर्थिक सहायता कब मिलेगी:–

(i) राशि का भुगतान प्रसव के बाद परन्तु सात दिन के अन्दर संस्थान के प्रभारी द्वारा किया जायेगा

(ii) घर पर होने वाले प्रसव में राशि का भुगतान स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता द्वारा प्रसव के उपरान्त किया जायेगा। घर में प्रसव पर धनराशि एक सप्ताह पूर्व भी दी जा सकती है। भुगतान स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता करेगा ।

(iii) यदि किसी गर्भवती महिला का प्रसव उसकी मां के घर होता है, तो धनराशि का भुगतान उसी स्थान पर होगा जहां प्रसव हुआ है ।

(iv) यदि प्रसव प्रदेश के बाहर हुआ हो तो भी स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता धनराशि वितरित करेगा

इस योजना की पात्रता के लिए अन्य शर्तें:–

- यह आवश्यक है कि गर्भवती महिला का निकट के स्वास्थ्य केन्द्र या अस्पताल में पंजीकरण (Registration) हुआ हो तथा उसकी नियमित जांच होती रही हो ।

- महिला गरीब परिवार (बी0पी0एल0),अनुसूचित जाति या जनजातीय क्षेत्र से सम्बन्धित होनी चाहिए

पात्रता के लिए कौन से प्रमाण–पत्र चाहिए :–

1. गरीबी रेखा से नीचे (BPL) का प्रमाण–पत्र
2. अनुसूचित जाति या जनजातीय प्रमाण–पत्र
3. सरकारी स्वास्थ्य संस्थान का गर्भावस्था पंजीकरण कार्ड

1. यदि पात्र महिला उपरोक्त प्रमाण–पत्र (BPL) स्थानीय ग्राम पंचायत के प्रधान से प्राप्त करती हैं तो उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। यह आवश्यक नहीं है कि प्रमाण–पत्र दण्डाधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। वर्ष 2024–25 में इस योजना के अन्तर्गत कुल 16500 के लक्ष्य के विरूद्ध 10825 गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
2. 9 फरवरी, 2021 को प्रदेश में 24 फर्स्ट रैफरल यूनिट अधिसूचित किये गए हैं। यह फर्स्ट रैफरल यूनिट सीजेरियन सेक्शन, नवजात शिशु देखभाल, बीमार बच्चों की आपातकालीन देखभाल, परिवार नियोजन सेवाओं, सुरक्षित गर्भपात सेवा उपचार सहित व्यापक प्रसूति देखभाल सेवायें प्रदान करते हैं ।
2. राज्य में आशा वर्कर्रज़ को 15–49 वर्ष की महिलाओं की मृत्यु के बारे 24 घंटे के भीतर जानकारी देने पर रु0 200 दिये जा रहे हैं।

राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम (National Family Welfare Programme)

परिवार कल्याण कार्यक्रम प्रदेश में स्वेच्छा के आधार पर चलाया जा रहा है। सामाजिक, आर्थिक विकासात्मक योजनाओं में परिवार कल्याण कार्यक्रम अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है । इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि में स्थिरीकरण लाना है। यह कार्यक्रम प्रदेश में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में सामुदायिक आवश्यकताओं के निर्धारण नीति के आधार पर चलाया जा रहा है। इस दृष्टिकोण के अन्तर्गत मूल–स्तर पर बहुउददेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला एवं पुरूष) अपने कार्य क्षेत्र तथा उसमें आने वाली जनसंख्या की परिवार कल्याण से सम्बन्धित विभिन्न जरूरतों का अनुमान तैयार करते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर समस्त स्वास्थ्य उप–केन्द्रों से प्राप्त हुए अनुमानों को संकलित किया जाता है। इस कार्यक्रम को राज्य में प्रभावी ढंग से चलाने के लिए सभी स्वयंसेवी संगठनों, सभी सरकारी विभागों, गणमान्य व्यक्तियों तथा जन प्रतिनिधियों का समर्थन लिया जा रहा है। परिवार कल्याण कार्यक्रम को प्रदेश में प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप राज्य की जन्म दर में उल्लेखनीय कमी आई है। सरकार ने इस कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न पग उठाए है। सूचना, शिक्षा तथा सम्प्रेषण गतिविधियों के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाई जा रही है और पात्र दम्पत्ति परिवार कल्याण के विभिन्न तरीकों को अपनाने के लिए स्वयं आगे आ रहे हैं।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत बांध्यकरण करवाने वालों के लिये बीमा योजनाः

मद	2024–25	2023–24	प्रतिशत कमी (–) तथा (+) बढ़ौतरी
बांध्यकरण	4379	6877	(-)36.32%
आई.यू.डी.	7300	8614	(-)15.25%
ओ.पी. प्रयोगकर्ता	17739	20900	(-)15.12%
सी.सी. प्रयोगकर्ता	45165	51760	(-)12.74%

परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार ने बांध्यकरण करवाने वालों को एक नई योजना 'परिवार नियोजन बीमा योजना' शुरू की है। इससे पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत असफल हुए बांध्यकरण ऑप्रेशन तथा चिकित्सक जो यह सेवाएं प्रदान करते हैं उनके लिए कोई प्रतिपूर्ति की व्यवस्था नहीं थी। इस योजना के कार्यान्वयन से सभी तथ्यों को मद्देनज़र रखते हुए इस योजना का 1–1–2008 से नवींकरण तथा संशोधन किया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत जो संशोधित पैकेज देय है वह इस प्रकार से हैं :–

1. चिकित्सालय में बांध्यकरण के कारण मृत्यु पर या चिकित्सालय से छुट्टी होने के बाद 7 दिन के भीतर मृत्यु पर । — 2,00,000/– रुपये
2. चिकित्सालय से छुट्टी के बाद 8 से 30 दिन के भीतर बांध्यकरण के कारण मृत्यु होने पर । — 50,000/– रुपये
3. बांध्यकरण के असफल होने पर (बांध्यकरण उपरान्त पहला गर्भ ठहरने पर)। — 60,000/– रुपये
4. बांध्यकरण के उपरान्त (60 दिन के भीतर) चिकित्सा जटिलताएं उत्पन्न होने पर उपचार के लिए। — 25,000/– रुपये तक (वास्तविक खर्च़)
5. इन्डिमिटी बीमा योजना (Indemity Insurance) प्रति डाक्टर अथवा facility(वर्ष में चार से अधिक नहीं)। — 2,00,000/– रुपये

इस योजना के लागू होने से राज्य सरकार द्वारा बांध्यकरण करवाने वाली माताओं के लिए चलाई जा रही बीमा योजना भी प्रतिस्थापित हो गई है।

व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम (Universal Immunization Programme)

राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम भारत सरकार का एक अतिमहत्वपूर्ण एवं सफल कार्यक्रम है। पिछले कुछ वर्षों में इस कार्यक्रम के माध्यम से टीकाकरण में बहुत से परिर्वतन हुए है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन कई नयी तरह की वैक्सीन को इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाना है। इस कायक्रम के अन्तर्गत समय–समय पर जरूरत के अनुसार टीकाकरण के विशेष अभियान भी चलाये जाते है। इसके अलावा शिमला जिला में पायलट के तौर पर सभी स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण जे0एस0आई0 की मदद से राइज प्रयोजना के अन्तर्गत मोबाइल बेस एप द्वारा प्रशिक्षण देने का एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। जिसके अर्न्तगत हर जिला के सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

वैक्सीन का उचित तापमान पर भण्डारण तथा गंतव्य स्थल तक सुरक्षित तरीके से पहुंचाने के लिए शीत–कड़ी उपकरणों की उचित संख्या में उपलब्धता एवं उनका रख–रखाव अत्यंत आवश्यक होता है ताकि वैक्सीन की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी ना आए इसके लिए भारत सरकार समय–समय पर प्रदेश को आवश्यकता अनुसार यह उपकरण उपलब्ध करवाती रहती है इस के अन्तर्गत भारत सरकार ने इस वर्ष विभाग को 1350 अदद नए वैक्सीन कैरियर, 9 अदद आई एल आर और 3 अदद डीप फ्रिजर उपलब्ध करवाए हैं।

व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2023–24 तथा 2024–25 की उपलब्धियों का विवरण इस प्रकार से है :

मद	उपलब्धी 2023–24	उपलब्धी 2024–25	प्रतिशत उपलब्धी 2024–25
विटामिन–के	78168	73181	93.62
आई0पी0वी0–I	96327	91421	94.91
आई0पी0वी0–II	94656	90590	95.70
रोटावायरस	94365	90735	65.15
बी0सी0जी0	87239	80569	92.35
पोलियो	94621	90612	95.76
पेंटावेलेंट	94601	90648	95.82
मीज़ल रूबेला–I	82121	91556	111.49
मीज़ल रूबेला–II	91050	90904	99.84
विटामिन–ए की पहली खुराक	92971	86635	93.18
विटामिन–ए की पांचवीं खुराक	87402	121128	138.59
डी.पी.टी. बुस्टर	91273	91088	99.80
पोलियो बुस्टर	91301	91096	99.78
डी.पी.टी. (5 वर्ष)	70207	59308	84.48
टी.टी./ टी.डी. (10 वर्ष)	73581	71819	97.61
टी.टी./ टी.डी. (16 वर्ष)	73368	72775	99.19
टी.टी./ टी.डी. (गर्भवती महिलाएं)	94359	84837	89.91
माताओं को आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां	92362	90110	97.56

ट्रामा केन्द्र (Trauma Centre)

प्रदेश में लेवल–III ट्रामा सेंटर क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू, क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर, नागरिक अस्पताल नालागढ़, एम0जी0एम0एस0सी0 खनेरी रामपुर, श्री लाल बहादुर शास्त्री आयुर्विज्ञान महाविद्यालय जिला मण्डी, पण्डित जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय जिला चम्बा, लेवल–II ट्रामा सेंटर डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा, जिला कांगड़ा तथा लेवल–I ट्रामा सेंटर इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय जिला शिमला में क्रियाशील है जिनमें लोगों को ट्रामा सम्बन्धी सेवाएं दी जा रही है। डॉ0 राधाकृष्णन आयुर्विज्ञान महाविद्यालय जिला हमीरपुर में सरकार द्वारा ट्रामा सेंटर स्थापित किया गया। ट्रॉमा सेंटर क्षेत्रीय अस्पताल सोलन और कोटखाई के भवन का कार्य प्रगति पर है, इसके अतिरिक्त दो ट्रॉमा सेंटर क्षेत्रीय अस्पताल केलांग और रिकांगपियो में प्रस्तावित है।

बर्न यूनिट (Burn Unit) में रागियों की सुविधा के लिए अस्थाई तौर पर डॉ0आर0पी0जी0एम0सी0 टांडा, आंचलिक चिकित्सालय मण्डी और क्षेत्रीय अस्पताल हमीरपुर में क्रमशः 14, 5 और 10 बिस्तरे उपलब्ध करवाए गये हैं।

प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (Pradhan Mantri Surakshit Matritav Abhiyan)

प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान अगस्त 2016 में आरम्भ किया गया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को चिन्हित करना और समय पर उनका उपचार करना है। इस के अन्तर्गत हर माह की 9 तारीख को सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं का उनकी गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान निःशुल्क परीक्षण किया जाता है ताकि उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का पता लगाया जा सके और समय रहते उपचार किया जा सकें। वर्ष 2024–25 में कुल 63736 गर्भवती महिलाओं का इस अभियान के अन्तर्गत परीक्षण किया गया जिनमें से 7816 उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाएं थीं।

स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र

भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम आयुष्मान भारत के अनुसार, हिमाचल प्रदेश सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) (शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (यूपीएचसी) और स्वास्थ्य उपकेंद्रों (एचएससी) को स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उन्नत और संचालित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

राज्य के स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं:

1. गर्भावस्था एवं प्रसव के दौरान देखभाल।
2. नवजात एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ।
3. बचपन और किशोर स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ।
4. परिवार नियोजन, गर्भनिरोधक सेवाएँ और अन्य प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ।
5. राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों सहित संचारी रोगों का प्रबंधन।
6. सामान्य संचारी रोगों का प्रबंधन और गंभीर साधारण बीमारियों और छोटी बीमारियों के लिए बाह्यरोगी देखभाल।
7. गैर–संचारी रोगों की जांच, रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन।
8. सामान्य नेत्र एवं ईएनटी समस्याओं की देखभाल।
9. बुनियादी मौखिक स्वास्थ्य देखभाल।
10. बुजुर्ग और प्रशामक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ।
11. आपातकालीन चिकित्सा सेवाएँ।
12. मानसिक स्वास्थ्य रोगों की जांच और बुनियादी प्रबंधन

• हिमाचल प्रदेश राज्य में आज तक, 561 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, 2074 उप–स्वास्थ्य केंद्रों और 21 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (यूपीएचसी) को स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

• एचएससी–एचडब्ल्यूसी को कार्यात्मक बनाने के लिए, 1213 (626 सीएचओ को एचएलएल के माध्यम से आउटसोर्स आधार पर नियुक्त किया गया है और 587 सीएचओ को एनएचएम के तहत अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया है) सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य उपकेंद्रों–स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में तैनात किया गया है। इस के अलावा आउटसोर्स आधार पर 530 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, जो जल्द ही पूरी हो जाएगी।

• स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में काम करने वाले सीएचओ और एचडब्ल्यूसी टीम के सदस्यों के लिए प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन और टीम आधारित प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।

• राज्य में टेलीमेडिसिन सेवा 31 मार्च 2020 से शुरू की गई है। 2020 में सेवाओं की शुरुआत के बाद से कुल 8.58 लाख टेली–परामर्श पूरे हो चुके हैं।

Figure in lacs

FMR Code	Budget line No.	Particulars	Total funds approved in RoP 2024-25	Expenditure upto Feb-2025
HSS (U). 1	127	Development and operations of Health & Wellness Centers - Urban	1.36	1.36
HSS. Rural	150	Development and operations of Health & Wellness Centers - Rural (funds for SLBSGMC Ner Chowk for up-gradation)	2773.77	802.26
HSS. 1	152	Teleconsultation facilities at HWCs-Rural	3.6	0.9
HSS. 1	153	CHO Mentoring	5.35	0.43
HSS. 1	187	Remuneration for CHOs	6677.98	3343.73
HSS. 1	188	Incentives under CPHC	2811.4	1499.23
HSS. 1	197	eSanjeevani (OPD)	693.9	648.37
Total			**12967.36**	**6296.28**

कॉल सेन्टर 104

हिमाचल प्रदेश राज्य में 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन के प्रावधान के साथ एक व्यापक कॉल सेंटर कार्य कर रहा है। इस व्यापक कॉल सेंटर की स्थापना का उद्देश्य लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की दक्षता में सुधार करना, गर्भावस्था और बच्चे के टीकाकरण से संबंधित जानकारी के लिए संपर्क का एक बिंदु प्रदान करना और राज्य में प्रत्येक गर्भवती महिलाओं और बच्चो को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की निगरानी के लिए एक विश्वसनीय तंत्र स्थापित करना है।

स्वास्थ्य हेल्पलाइन – 104 की स्थापना आम जनता और लाभार्थियों को स्वास्थ्य सलाह प्रदान करने के लिए की गई है ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर मामूली बीमारी का बोझ कम किया जा सके। अन्य सेवाएं जो व्यापक कॉल सेंटर के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं, उनमें आम जनता और लाभार्थियों की किशोर स्वास्थ्य परामर्श सेवाएं और शिकायत निवारण आदि शामिल हैं। कॉल सेंटर के माध्यम से समय–समय पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

यह कॉल सेंटर 24×7 आधार पर काम कर रहा है तथा मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन के रुप मे भी काम कर रहा हैं।

वर्ष 2024–2025 में तक प्रदान की गई सेवाओं का विवरण इस प्रकार है।

Dated	FY-2024-25
Total Calls Received at 104	115861
Total Calls Attended at 104	115775
Total Health Advise Calls	8296
Total Counseling Calls	196
Total Medical Advise Calls	5963
104 Directory & other information related Calls	101320
MCTS Dialling (Outbound) for the tracking of services of beneficiaries	593514
ECD -calls to beneficiaries Regarding sanitization about Early Childhood Development(ECD)	567027
Other Outbound Dialings (108 Verifications , ASHAs Follow up , Tele-medicine Feedbacks)	83534

एक नई वेब आधारित अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का कार्यान्वयन

मरीजों का इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड (ईएचआर) बनाने और अस्पताल सेवाओं (पंजीकरण, बिलिंग, प्रयोगशाला, इन्वेंटरी, आईपीडी, आईपीडी, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आदि) के स्वचालन के लिए 53 अस्पतालों (12 डीएच/डीएच सह एमसी, 05 मेडिकल कॉलेज अस्पताल और 36 सिविल अस्पताल) में एक नई वेब–आधारित अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का कार्यान्वयन किया जा रहा है। अब तक प्रदेश के 39 अस्पतालों में यह सूचना प्रणाली शरू कर दी गई है तथा बाकि 14 अस्पतालों में क्रायविन्त प्रक्रिया जारी है।

सी–डैक नोयडा के माध्यम से विकसित ई–सुश्रुत वेब–आधारित एचएमआईएस एप्लीकेशन को राज्य में लागू किया जा रहा है। इन अस्पतालों में कम्पूयटर हार्डवेयर तथा लैन स्थापित करने के लिए तथा इसके कियान्वन के लिए वर्ष 2024–2025 मे खर्च किए रुपये का विवरण इस प्रकार है।

वितीय उपलब्धियां Figure in lacs

S.N	FMR Code	Fund Approved	Expenditure	Remarks
01	195	784.84	508.60	For the implementation & operational management of HMIS, RCH Portal, 104 call center.
02	ECRP-II	14.82 (overall approval)	148.89	For the procurement of Hardware and Establishment of local area Networking in 53 Hospitals for the implementation of new web based hospital management system

प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र में टेलिमेडिसन के माध्यम से इलाज की सुविधा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन एच एम), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने हिमाचल प्रदेश के जनजातिय क्षेत्रों में निम्नलिखित स्वास्थ्य सस्थानों में टेलीमेडिसिन सुविधा प्रदान की गई है ।

1. जिला अस्पताल, केलांग (लाहौल–स्पीति)
2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, काजा लाहौल–स्पीति
3. सिविल अस्पताल किलाड़ (पांगी) (चंबा)
4. सिविल अस्पताल, भरमौर (चंबा)

वर्ष 2024–2025 में प्रदान की गई टेलीमेडिसिन सेवाओ का ब्यौरा इस प्रकार है।

Services update April 2024-2025							
S.No	**Inception Date**	**Centre**	**GP consul-tation**	**Specialty consul-tation**	**Emergency consultation**	**Community**	**Lab Test**
1	21st April 2015	Kaza	2	895	10	**907**	884
2	26th May 2015	Keylong	5	801	2	**808**	873
3	16th October 2018	Pangi	2	1233	1	**1236**	1017
4	21st October 2019	Bharmour	0	693	4	**697**	1498
Total			**9**	**3622**	**17**	**3648**	**4272**

Figure in lacs

S.N	FMR Code	Fund Approved	Expenditure	Remarks
03	HSS-12 Sr.No.197	139.72	139.72	For the operation & management of telemedicine centres set up at Kaza, Kelyong, Pangi and Bharmour.

(ii) तंबाकु नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP)

यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिलों में चलाया जा रहा है और इसके अंतर्गत जागरूकता और कानूनी प्रक्रिया द्वारा सार्वजनिक संस्थानों और शिक्षा संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाने का अभियान चलाया जा रहा है । वर्ष 2024–25 में मार्च 2025 तक हिमाचल को तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए 5313 स्कुलों और 2019 पंचायतों में जागरूकता और प्रशिक्षण गतिविधि आयोजित की गई ।

इस कार्यक्रम में प्रदेश को 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तंबाकू के प्रयोग में कमी लाने के लिए पुरस्कार भी प्रदान किया गया था ।

(iii) डायलिसिस यूनिट कार्यक्रम (PMNDP)

प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंर्तगत इस समय 24 डायलिसिस यूनिट चल रहे हैं जिनमें से 22 यूनिट द हंस फाउंडेशन द्वारा और 2 यूनिट (नेरचौक व सुंदरनगर) राही केयर द्वारा संचालित किये जा रहे हैं । हंस फाउंडेशन द्वारा चलाये जा रहे केंद्रो में APL और BPL के सभी मरीजो को मुफ्त डायलिसिस सुविधा प्रदान की जा रही है जबकि राही केयर द्वारा APL क्षेणी के मरीजो से HIM CARE कार्ड द्वारा या नकद वसूली की जाती है । इस वर्ष मार्च 2025 तक 8762 मरीजो के 61224 डायलिसिस सेशन पूरे किये जा चुके है।

Finincial Status 2024-25			
FMR Code	Programme name	Approved Funds	Expenditure
	National Tobacco Control Programme (NTCP)		
104	Implementation of COTPA - 2003	18,00,000	7,34,758
105	Implementation of ToEFI guideline	40,00,000	15,68,325
106	Tobacco Cessation	12,00,000	4,18,721
	Pradhan Mantri National Dialysis Programme (PMNDP)		
112	Haemodialysis Services	18,00,000	22,62,292
113	Peritoneal Dialysis Services	5,00,000	

Annual Report under National Dialysis Program 2024- 2025

Name of the District	Name of Hospital	Number of functiona Dialysis machines	Number of patients who availed dialysis services during the month	Number of patients who availed dialysis services up to the month in 2024-25	Number of patients who availed dialysis services since start of the unit	Number of dialysis sessions conducte d during the month	Number of dialysis sessions conducted up to the month in 2024-25	Number of dialysis sessions conducted since start of the unit
Bilaspur	RH BILASPUR	06	44	507	7572	311	3078	25294
Chamba	RH CHAMBA	08	60	696	2520	473	5161	41396
Hamirpur	Dr.RKGMC HAMIRPUR	06	40	424	3376	271	2939	28802
Kangra	ZH D/Shala	09	60	713	1688	473	5570	73161
	CH Nurpur	03	18	207	1294	138	1566	22617
	CH Palampur	04	27	319	2732	218	2491	32171
Kinnaur	RH ReckongPeo	3	7	103	303	60	817	4915
Kullu	ZH KULLU	08	38	388	1405	329	3311	51325
	CH Manali	03	14	116	116	115	865	865
Mandi	ZH MANDI	09	50	546	1580	405	4624	70043
	CH Sundernagar	07	77	661	803	303	3097	31690
	Nerchowk,Mandi	06	66	697	1746	59	769	8656
	CH Joginder Nagar	03	22	172	640	184	1983	9805
	CH Sarkaghat	03	14	227	720	116	1608	9470
	Karsog	03	5	66	343	44	530	1962
Sirmour	Nahan	4	19	218	689	169	1672	13797
	CH Poanta Sahib	04	19	246	739	153	1780	12723
Shimla	ZH SHIMLA	06	29	299	1095	212	2039	19694
	CH Rohru	06	34	382	899	271	3223	13249
	CH Rampur	03	14	255	506	120	1385	8895
Solan	RH SOLAN	08	49	516	3694	444	4478	38689
	CH Nalagarh	**03**	**17**	178	1854	**153**	1602	9329
	CHC Dharampur	03	16	183	231	127	1499	2635
Una	ZH UNA	10	69	643	3462	587	5137	66935
Total	24	128	808	8762	40007	5735	61224	598118

(iv) एल्डरली केयर प्रोग्राम (NPHCE)

- इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिलों के सभी अस्पतालों मे 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को सुविधा प्रदान की जा रही है ।
- वर्ष 2024–25 में कुल 11,36,897 रोगियों ने लाभ लिया ।
- वर्ष 2024–25 में फिजिओथेरपी इक्विपमेंट के लिए जिलों को राशि प्रदान की गयी ।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत बुजुर्गो को ओपीडी में अलग से सुविधा प्रदान की जाती है जिला अस्पताल में सीनियर सिटीजन के लिए अलग पर्ची बनायी जाती है ।
- इसके अंतर्गत वर्ष 2024–25 में MOs, ASHA,ANM,CHOs को ट्रैंनिंग दी गयी ।

(v) पेलेटिव केयर प्रोग्राम (NPPC)

- प्रदेश में 12 जिलों में ये सुविधा प्रदान की जा रही है ।
- वर्ष 2024–25 में 370 बाह्य रोगी और 245 दाखिल मरीजों को सेवा प्रदान की गयी ।
- जिलों में केरल मॉडल के अनुसार उपशामक देखभाल/सेवाओं को लागू करने का निर्णय लिया गया है और आशा द्वारा उपशामक देखभाल की आवश्यकता वाले रोगियों की पहचान की जा चुकी है ।
- ब्लॉक स्तर पर उपशामक देखभाल/सेवाओं के लिए समर्पित टीम होगी जो महीने में एक बार रोगी से मिलने जाएगी और रोगियों को आवश्यक बुनियादी उपचार/सेवाएं प्रदान करेगी। जिला अस्पताल में 10 बेड और सीएचसी स्तर पर 5 बेड होंगे।
- इसके अंतर्गत वर्ष 2024.25 में MOs, ASHA,ANM,CHOs को ट्रैंनिंग दी गयी ।

Finincial Status 2024-25			
FMR Code	**Programme name**	**Approved Funds**	**Expenditure**
	National Programme for Elderly Care (NPHCE)		
99	Geriatric Care at DH	1,00,000	91,501
100	Geriatric Care at CHC/SDH	17,00,000	6,89,786
101	Geriatric Care at PHC/ SHC	1,00,000	51,055
	National Programme for Palliative Care (NPPC)		
119	Implementation of National Programme on Palliative Care (NPPC) (excluding Planning & M&E)	4,00,000	84,000

(vi) बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तगर्त स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रमुख चुनौतियो में से एक उच्च नवजात मृत्यु दर रही है। नवजात मृत्यु के मुख्य कारणों में सुक्रमण जैसे निमोनिया, सेप्सिस और Umbilical Cord infection] Prematurity यानि कि 37 सप्ताह के गर्भ से पहले नवजात का जन्म और एस्फिक्सिया यानि जन्म के तुरंत बाद सांस लेने में असमर्थता और आक्सीजन की कमी। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु के प्रमुख कारणों में जन्म से संबधित जटिलताएं, निमोनिया जन्म के समय की मृत्यु, दस्त और मलेरिया हैं।
उपरोक्त जोखिम कारक जो कि शिशु मृत्यु दर के लिए उत्तरदायी हैं उनको संबोधित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने कई कदम उठाए हैं जैसे कि

नवजात शिशु देखभाल

शिशु मृत्यु दर को कम करने हेतु 16 एस एन सी यू प्रदेश में चलाए जा रहे हैं। इनमें उच्च जोखिम बिमार नवजात व कम वजन वाले शिशुओं (<1800 gram) को दाखिल कर उनकी देखभाल की जाती है ताकि उन्हें निरंतर उपचार कर संक्रमण से बचाया जा सके। Low Birth weight शिशुओं में रुगणता और मृत्यु दर को कम करने के लिए सभी एस एन सी यू में Kangaroo Mother Care की स्थापना की गई है। 44 एन बी एस यू स्थपित किए गये हैं और 124 एन बी सी सी स्थापित किए गये हैं।

ग्रामिण क्षेत्रों में नवजात मृत्यु दर में कमी के लिए गृह आधारित नवजात देखभाल (Home Based newborn Care (HBNC) कार्यक्रम वर्ष 2016 में शुरू किया गया। जिसके तहत आशा कार्यकर्ताओं द्वारा घर पर नवजात शिशुओं व माताओं की निरंतर देखभाल के लिए 6 से 7 बार गृह भेंट (42 दिनों तक) कर आवश्यक देखभाल व खतरों के लक्षण पर उन्हें शीघ्र इलाज के लिए सरकारी अस्पताल भेजा जाता है। इस वर्ष 2024–25 तक आशा द्वारा देखे गए बच्चों की संख्या 68490 है ।

राष्ट्रीय मिशन और पोषण अभियान के तहत सितंबर 2019 में छोटे बच्चों की गृह आधारित देखभाल Home Based Care for Young Child (HBYC) के लिए नयी पहल शुरु की गई है जिसके अंतर्गत 42 दिनों के बाद भी गृह भेंट के लिए आशा कार्यकर्ता जाती हैं जब वह बच्चा 3,6,9,12 और 15 महीने का होगा। इसका उद्देश्य छोटे बच्चों के पोषण के स्तर में सुधार समुचित विकास और बाल्यावस्था में होने वाली बीमारियों और उनके कारण होने वाली मृत्यु से उनका बचाव कैसे किया जाए के बारे में बताया जाता है। इस वर्ष 2024–25 तक आशा द्वारा देखे गए बच्चों की संख्या 166961 है।

पोषण संबधि कार्यक्रम

Nutritional Rehabilitation Centers प्रदेश में 8 पोषण पुनर्वास केंद्र (एन0आर0सी) स्थापित किए हैं, जहां गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को निर्धारित प्रवेश मानदंडों के अनुसार भर्ती किया जाता है और उनका प्रबंधन किया जाता है । अति कुपोषित (एस0ए0एम0) बच्चों में मृत्यु के खतरे को काफी हद तक बढ़ा देता है, और एन0आर0सी का लक्ष्य लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से इस जोखिम को कम करना, बच्चों को उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं । इसमें बच्चे की स्थिति का आकलन करना, चिकित्सीय आहार प्रदान करना और किसी भी चिकित्सीय जटिलता का प्रबंधन करना शामिल है। देखभाल करने वालों को स्तनपान प्रथाओं, पूरक आहार और स्वच्छता पर सलाह दी जाती है। साथ ही कुपोषित व अति कुपोषित बच्चों के प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य और डब्ल्यू0सी0डी विभाग के बीच संयुक्त हस्ताक्षरकर्ता एस0ओ0पी बनाया गया है और दायर पदाधिकारियों के साथ साझा किया गया है। यह भी उल्लेख किया जाता है कि पहले मजदूरी में कमी के डर से कुपोषित बच्चों के माता–पिता अपने बच्चे को एन0आर0सी0 में भर्ती कराने से कतराते थे । इसके लिए एन0आर0सी0 के तहत मजदूरी क्षतिपूर्ति नुकसान के लिए माताओं को 100 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है । एन0आर0सी0 से प्राप्त फीडबैक के अनुसार,

माताओं को प्रोत्साहन राशि शुरू किए जाने के बाद यह प्रेरक कारक के रूप में काम कर रहा है और भर्ती होने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे लक्ष्य वजन बढ़ने के बाद कुपोषित बच्चों को छुट्टी मिल रही है।चिकित्सीय जटिलता वाले कुपोषित बच्चों को एन0आर0सी में रेफर करने के लिए व एन0आर0सी बच्चों को निरंतर समर्थन और उनकी प्रगति की निगरानी करने के लिए आशा को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस वर्ष 2024–25 में 406 बच्चों को सफलतापूर्वक वजन बढ़ने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई।

एनीमिया मुक्त भारत

यह कार्यक्रम वर्ष 2018 में आरंभ हुआ। जिसका उद्देश्य माताओं एवं बच्चों में एनीमिया (रोकथाम, नियंत्रण एवं सुधार) की स्थिति में सुधार लाना है, निम्न हितग्राहियों को आयरन फोलिक एसिड की गोलियां/सीरप निःशुल्क दिया जाता है।

- 6 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को एक सप्ताह में दो बार आयरन फोलिक एसिड सिरप (8–10 doses) पिलाया जाता है।
- सरकारी स्कूलों में 6 साल से 10 साल तक के बच्चों को हर सप्ताह आयरन फोलिक एसिड की (गुलाबी) गोलियां दी जाती हैं।
- सरकारी स्कूलों में 11 साल से 19 साल तक के बच्चों को हर सप्ताह आयरन फोलिक एसिड की (नीली) गोलियां दी जाती हैं।
- गर्भवती महिलाओं को 360 आयरन फोलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं।

डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा

यह कार्यक्रम वर्ष 2014 में आरंभ हुआ जिसका उद्देश्य बच्चों में डायरिया से मृत्यु को रोकना है। प्रदेश में हर साल जूलाई /अगस्त माह में किया जाता है, जिसके तहत 5 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को ओ0आर0एस0 बांटा जाता है तथा डायरिया से पीडित बच्चों को ओ0आर0एस0 के साथ जिंक की गोली दी जाती है। इस कार्यक्रम को प्रभावी तौर से चलाने के लिए पोस्टर वितरित किये जाते हैं। लगभग 5 लाख बच्चों को ओ0आर0एस0 वितरित किए जाते हैं। बाल सुपोषण योजना के अन्तर्गत डायरिया नियंत्रण पखवाडे का आयोजन तीन चर्णों में किया जा रहा है । यह पखवाडा जून, नवम्बर व मार्च माह में मनाया जाता है। भारत सरकार ने नवंबर 2023 को राष्ट्रीय समीक्षा में गहन दस्त नियंत्रण पखवाड़े के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य को सर्वश्रेष्ठ कवरेज पुरस्कार दिया गया है । इस वर्ष पहले चरण में जुलाई–अगस्त 2024 माह में 482229 और दूसरे चरण में कुल 485683 बच्चों को व मार्च (तीसरा चरण) 2025 में 482696 बच्चों को ओ0आर0एस0 के साथ जिंक की गोली दी गई।

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (National Deworming day)

यह कार्यक्रम वर्ष 2015 में आरंभ हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों मे कृमि संक्रमण से मुकाबला करना है। आंतों के कीड़े और संबंधित रुग्णता के भार को कम करने के लिए हर साल दो दौर में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। इसके तहत 1 वर्ष से 19 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के मंच के माध्यम से एक ही दिन में एल्बेंडाजोल की गोली मुफ्त खिलाई जाती है और छूटे

हुए बच्चों को निश्चित मॉप अप डे पर यह गोली खिलाई जाती है। STH prevalence सर्वेक्षण 2019 के के अनुसार राज्य का STH प्रसार 0.3 प्रतिषत रहा है। इस वर्ष अगस्त व फरवरी महीने में 99 प्रतिशत बच्चों को यह खुराक दी गई।

विटामिन A

विकास और कोशिका पहचान, दृष्टि, प्रतिरक्षा समारोह और प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण है और हृदय, फेफड़े और गुर्दे की मदद करता है। इसलिए राज्य ने टीकाकरण सत्र के अलावा कृमि मुक्ति दिवस के साथ–साथ 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों को भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशानिर्देशों के अनुसार द्विवार्षिक रूप से विटामिन ए दिया जाता है। इस वर्ष अगस्त व फरवरी महीने में 99 प्रतिशत बच्चों को यह खुराक दी गई ।

निमोनिया (SAANS)

बचपन में निमोनिया के कारण होने वाली मौतों को कम करने के लिए भारत सरकार ने नवंबर 2019 में SAANS अभियान शुरू किया। हर साल 12 नवंबर से 28 फरवरी तक SAANS अभियान मनाया जाता है। SAANS का उद्देश्य बच्चों में निमोनिया के संरक्षण, रोकथाम और उपचार पहलुओं पर जागरूकता पैदा करना है और न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन (पीसीवी) को बढ़ावा देना है।निमोनिया एक श्वसन संक्रमण है, जिससे बच्चे को सांस लेने में कठिनाई होती है। निमोनिया के सभी मामले शुरू में गैर गंभीर निमोनिया होते हैं, यदि उपचार न किया जाए तो गंभीर निमोनिया हो सकता है। पांच साल से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया से होने वाली अधिकांश मौतें गंभीर निमोनिया के कारण होती हैं। अभियान अवधि के दौरान आशा और अन्य फ्रंट–लाइन कार्यकर्ताओं द्वारा घर के दौरे के माध्यम से निमोनिया के मामलों की शीघ्र पहचान और उचित प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आशाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि सभी पात्र बच्चों को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) के तहत राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन की 3 खुराक (6 सप्ताह और 14 सप्ताह में दो प्राथमिक खुराक और 9 महीने में एक बूस्टर खुराक) मिले। इस वर्ष 2024–25 अभियान के दौरन 692 गंभीर निमोनिया से ग्रसित बच्चों का इलाज किया गया।

उपरोक्त कदमों के कार्यान्वयन से बाल मृत्यु दर में कमी देखी गई है जिसका विवरण नीचे दिया गया हैः

(Source SRS)

Year	Neonatal Mortality Rate	Infant Mortality Rate	Under 5 Mortality
2010	31	40	49
2011	28	38	46
2016	16	25	27
2018	13	19	23
2020	13	17	23

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम उपरोक्त कार्यक्रमो के इलावा बच्चों के अस्तित्व को बेहतर बनाने के लिए व जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर0बी0एस0के) की शुरुआत वर्ष 2014 में की, जो एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसमें बाल स्वास्थ्य जांच, प्रारंभिक पहचान, देखभाल, सहायता और उपचार किया जाता है। इस कार्यक्रम में जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों में 4 Ds– दोष, रोग, कमियां और जन्म के समय विकासात्मक देरी की जांच की जाती है। ये सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। पहचान की गई स्वास्थ्य स्थितियों वाले बच्चों को जिला स्तर पर प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाएं और अनुवर्ती देखभाल प्रदान की जाती हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में एक बार और सरकारी स्कूलों में साल में दो बार बच्चों की जांच की जाती है । सभी सरकारी, गैर सरकारी स्कूलों, संगठनों, ट्रस्टों या ड्रापआउट वाले बच्चों को भी उपरोक्त विकारों के लिए मुफ्त इलाज किया जाता है।

बच्चों के स्वास्थ्य की जांच के लिए मोबाइल स्वास्थ्य टीम (MHT) की संरचना की गई है जिसमेंः–

2 चिकित्सा अधिकरी (पुरुष एवं महिला), 1 फार्मासिस्ट, 1 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता या स्टाफ नर्स सम्मिलित है।

वर्ष 2024–2025 में कुल 1124889 बच्चों की स्वास्थ्य की गहन जांच MHT द्वारा की गई और 57 बच्चों की सर्जरी की गई । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 4 विकारो की जांच का व्यौरा निम्नलिखित हैः–

1. जन्म से विकृत दोष (Defects of birth)– 1770
2 पौष्टिकता का अभाव (Deficiencies)–16558
3 रोग (Diseases)– 29512
4 विकास संबंधी विलंब (Development Delays)–13901

(vii) एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (Integrated Disease Surveillance Programme)

एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रमः–

एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) भारत में एक राष्ट्रव्यापी रोग निगरानी प्रणाली है, जिसका उद्देश्य कुशल नीतिगत निर्णयों को सक्षम करने के लिए बीमारियों का शीघ्र पता लगाना और दीर्घकालिक निगरानी करना है। इस योजना के तहत प्रतिदिन 37 सिंड्रोम बीमारियों की निगरानी की जाती है। इससे सम्बन्धित विवरण आई.एच.आई.पी.– आई.डी.एस.पी पोटल पर अपलोड किया जाता है । जिसके तहत मोबाइल एप्लिकेशन के वास्तविक समय पर डाटा दैनिक आधार पर आईएचआईपी पोर्टल पर उपलोड किया जाता है इस डाटा की नियमित आधार पर राज्य एवं जिला स्तर पर समीक्षा की जाती है । राज्य द्वारा आईएचआईपी के कार्यान्वयन के संबंध में फीडबैक साप्ताहिक आधार पर जिलों के साथ साझा किया जाता है।

राज्य एवं जिला स्तरीय गतिविधियाँः–

रैपिड रिस्पांस टीम (आरआरटी)

जब भी किसी क्षेत्र में बीमारियों की बढ़ती प्रवृत्ति होती है, तो इसके निदान और नियंत्रण के लिए हर जिलों में रैपिड रिस्पांस टीमों (आरआरटी) का गठन किया गया है । जिसके रहते बीमारी के संक्रमण के स्रोत

की पहचान की जा सके और उसकी बढ़ती प्रवृति को समय पर रोका जा सके । वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य और जिला आरआरटी द्वारा कुल 11 प्रकोपों की जांच की गई है ।

जिला सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला (डीपीएचएल) और राज्य रेफरल प्रयोगशाला (DPHL & SRL) :–

इस कार्यक्रम के अर्न्तगत दो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला (डीपीएचएल) जोकि आर0एच बिलासपुर और जोनल अस्पताल मंडी में तथा 6 राज्य और जिला रेफरल प्रयोगशालाएं जोकि आईजीएमसी शिमला, डॉ.आरपीजीएमसी टांडा, एसएलबीएसजीएमसी नेरचौक मंडी, पं.जेएलएनजीएमसी चंबा, डॉ. आरकेजीएमसी हमीरपुर, वाईएसपीजीएमसी नाहन, सिरमौर में स्थापित की गई है ।

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में 5 विशेष बीमारियों की निगरानी भी दैनिक आधार पर की जाती है और उसके अनुसार प्रदेश में इन बिमारियों की रोकथाम के लिए विशेष कदम उठाये जाते है ।

स्क्रब टाइफस बीमारी की रोकथाम और नैदानिक प्रबंधन के लिए हर जिलें में स्क्रब टाइफ्स मामलों के आधार पर निगरानी दृष्टिकोण शुरू किया गया है। जिसके तहत अब प्रदेश में स्क्रब टाइफ्स के मामलों में काफी कमी आई है । स्क्रब टाइफ्स के साकारात्मक मामलों ब्यौरा निम्नलिखित हैः

वित्तिय वर्ष	2023–24	2024–25
साकारात्मक मामले	1141	687

मेट्रो सर्वलैंस यूनिट (Metro Surveillance Unit)

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शिमला शहरी क्षेत्र में मेट्रो सर्वलैंस यूनिट स्थापित किया जा रहा है । इस का उद्देश्य रोग निगरानी को मजबूत करना है इसके अतिरिक्त शहर में रोग निगरानी केंद्र के रूप में कार्य करना :

- जनता में फैलने वाली बीमारियों पर निगरानी डेटा की वास्तविक समय पर रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करना ।
- विभिन्न स्रोतों से स्वास्थ्य संबंधी घटनाओं पर अलर्ट उत्पन्न और सत्यापित करना ।
- पानी, भोजन और वेक्टर जनित और जूनोटिक के लिए नमूनों के संग्रह और विश्लेषण में सहायता करना

राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम (National Rabies Control Programme) :

रेबीज एक तीव्र वायरल बीमारी है, यह वायरस जंगली जानवरों में पाया जाता है, कुछ घरेलू जानवरों से और अन्य जानवरों और मनुष्यों में फैलता है । उनकी लार के माध्यम से (काटने, खरोंचने) आदि से फैलता है। यह रोग मुख्यतः पागल कुत्ते के काटने से फैलता है।

राज्य एवं जिला स्तरीय गतिविधियाँ

- हिमाचल प्रदेश में रेबीज़ को एक Notifiable disease घोषित किया गया है।
- राष्ट्रीय निःशुल्क औषधी पहल के माध्यम से पीएचसी स्तर तक सभी जानवरों के काटने के पीड़ितों को एंटी रेबीज वैक्सीन और एंटी रेबीज इम्युनोग्लोबुलिन का मुफ्त प्रावधान हैं।

- लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्ट–एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस तथा मानव रेबीज और जानवरों की निगरानी की जानकारी नियमित रूप से दी जाती है।
- समीक्षा बैठकों, पर्यवेक्षी दौरों द्वारा मानव रेबीज और जानवरों के काटने के मामलों की निगरानी को मजबूत किया जा रहा है।
- प्रदेश सरकार ने दीनदयाल उपध्याय अस्पताल–आंचलिक अस्पताल शिमला को मॉडल एंटी रेबीज क्लिनिक के रूप में अधिसूचित किया गया है ।
- प्रदेश द्वारा कुत्तों और जंगली जानवरों के काटने के बढ़ते मामलों को देखते हुए आईजीएमसी शिमला, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला व डॉ0 आरपीजीएमसी टांडा में अलग से घाव धोने के केन्द्र की (exclusive Wound Washing Centre) व्यवस्था की गई है ।

(viii) आशा कार्यक्रम

राज्य सरकार द्वारा राज्य में सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए आशा कार्यक्रम शुरू किया गया था। हिमाचल प्रदेश में कुल 8744 (8652 ग्रामीण और 92 शहरी) आशा स्वीकृत हैं जिनमें से 8589 आशा कार्यरत हैं तथा स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान कर रही हैं। इसके अतिरिक्त 155 आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया जारी है, इन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से राज्य के दूर–दराज एवं दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से संबंधित विशेष सहायता एवं लाभ मिल रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न कार्यक्रमों को जमीनी स्तर तक ले जाने में आशा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके आलावा हिमाचल प्रदेश में 437 आशा फैसिलिटेटर के पदों को भी सरकार से मंजूरी मिली है, जिसमे से लगभग 98 आशा फैसिलिटेटर जिलो द्वारा नियुक्त किए जा चुके हैं।

राज्य सरकार द्वारा अप्रैल, 2024 से बढ़ाया गया अतिरिक्त मासिक मानदेय निम्नानुसार है–

• वर्ष 2024 में 5200/– रूपये का अतिरिक्त मासिक निश्चित प्रोत्साहन अप्रैल, 2024 से बढ़ाकर 5500/– रूपये किया गया।

• आशा कार्यकर्ताओं को केन्द्र सरकार द्वारा नियमित गतिविधियों के लिए लगभग 2000/– रू0 और विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्यकार्यक्रमों के लिए गतिविधि आधारित प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

Physical		
YEAR	**2023-24**	**2024-25**
Total ASHA Sanctioned	8744	8744
Total In Position	7921	8589

Financial Status				
[Rupees In Lacs)				
YEAR	**2023-24**		**2024-25**	
FMR Code Sr no. 159	**Approved Budget**	**Utilized**	**Approved Budget**	**Utilized**
Budget Sanctioned under Community Process for ASHA	3577.26	2560.69	3138.66	2782.96

Additional incentive to ASHA by State Govt.	4933.91	4933.91	5446.41	5003.59
Total	8511.17	7494.6	8585.07	7786.55

(ix) जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPCCHH)

1. इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश राज्य में राज्य स्तरीय शासी निकाय का गठन किया गया है।
2. राज्य स्तरीय एवं जिला टास्क फोर्स अधिसूचित की गयी है।
3. इस कार्यक्रम के तहत राज्य पर्यावरण स्वास्थ्य सेल का गठन किया गया है।
4. जिला स्तरीय पर्यावरण स्वास्थ्य कक्ष अधिसूचित किया गया है।
5. जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना 2022–2027 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।
6. हरित एवं जलवायु अनुकूल स्वास्थ्य अवसंरचना के अंतर्गत राज्य ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक स्वास्थ्य देखभाल में निम्नानुसार गतिविधियां संचालित की हैं–

- स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की पुरानी लाइटों को नई एल ई डी लाइटों से बदला गया।
- स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का सौरीकरण, विशेष रूप से किन्नौर और लाहुल–स्पीति जैसे दुर्गम जिलों में।
- लाहौल और स्पीति जिले में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का सौरीकरण, विशेष रूप से लाहौल–स्पीति जैसे दूरदराज के जिलों में, सौरीकरण गतिविधियाँ संचालित की गई हैं।

7. इस कार्यक्रम के अंतर्गतराज्य में 10 वायु प्रदूषण प्रहरी (एआरआई) अस्पतालअधिसूचित किए गए हैं।
8. एच आर आई–आईएच आई पी पोर्टल पर दैनिक आधार पर एचआरआई रिपोर्टिंग की जा रही है।

राष्ट्रीय कार्यक्रम – गैर संचारी रोग (NP–NCD):– इस कार्यक्रम के तहत अब तक कुल 71 लाख आबादी NP&NCD portal पे पंजीकृत (enroll) की गयी है । इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2024–25 में 30 वर्ष से ऊपर 23 लाख लोगो की उच्च रक्तचाप और मधुमेह की जांच की जा चुकी है। वित्त वर्ष 2023–24 से लेकर अब तक उच्च रक्तचाप के लगभग 2.6 लाख और मधुमेह के 1.6 लाख रोगियों को उपचार पर रखा गया है ।

एसटी–सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन (STEMI) परियोजनाः– इस योजना के तहत अब तक 211 चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। इस वित वर्ष में कुल 4127 संदिग्ध मायोकार्डिअल इन्फार्क्शन (एमआई) के मामले सूचित किये गए जिसमें से 229 थ्रंबोलाइस (Thryombolysed) करे गए ।

टेलीस्ट्रोक परियोजनाः– हिमाचल प्रदेश राज्य में टेलीस्ट्रोक परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए, 22.02. 2025 को एसआईएफएचडब्ल्यू, परिमहल, शिमला में चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा विशेषज्ञ का एक दिवसीय प्रशिक्षण/अभिविन्यास आयोजित किया गया। यह परियोजना हब और स्पोक मॉडल में चलाई जा रही हैं, जिसमें न्यूरोलॉजी विभाग आईजीएमसी और डॉ. आरपीजीएमसी टांडा हब के रूप में काम कर रहे हैं और कार्यात्मक सीटी स्कैन मशीन वाले स्वास्थ्य संस्थान स्पोक के रूप में।

मुफ्त इंसुलिन पंप का प्रावधानः– इस योजना के तहत अब तक राज्य में विभिन्न बच्चों को 20 इंसुलिन पंप प्रदान किए जा चुके हैं जिसमे इस वित्तीय वर्ष 10 प्रदान किये गए हैं ।

डे केयर सेंटरः– 2024–25 के बजट भाषण में माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ने जिला अस्पतालों और चयनित आदर्श स्वास्थ्य संस्थान में कीमोथेरेपी के लिए डे केयरसेंटर की स्थापना की घोषणा की थी । इस योजना के तहत अब तक प्रदेश के 27 चिकित्सा और 27 स्टाफ नर्सों को प्रशिक्षण दिया गया। अब तक 8 डे केयरकीमोथेरेपी इकाईयां कार्यात्मक बना दी गई हैं और वित्त वर्ष 2024–25 में कैंसर रोगियों को 206 कीमोथेरेपी सत्र प्रदान किए गए हैं।

राज्य में कैंसर रजिस्ट्री/एटलस की स्थापनाः– हिमाचल प्रदेश भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के सहयोग से कैंसर रजिस्ट्री/एटलस स्थापित कर रहा है, जिससे कैंसर के बोझ, वितरण और रुझानों की पहचान की जाएगी। इसके तहत, राज्य में कैंसर को एक अधिसूचित बीमारी घोषित किया गया है और सभी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए कैंसर के मामलों की रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया गया है।

स्तन और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर अभियानः– राज्य सरकार ने ममता एचआईएमसी एनजीओ के सहयोग से सिरमौर जिले के धगेरा और राजपुरा ब्लॉकों के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेष जांच शिविरों का आयोजन किया। इन शिविरों में स्त्री रोग विशेषज्ञों, चिकित्सा अधिकारियों, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, ने महिलाओं की जांच की। इस वित्त वर्ष 2024–25 में आठ शिविरों में 648 महिलाओंकी जांच की जा चुकी है।

(x) राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लीनिक :- कार्यक्रम के तहत, किशोरों को नैदानिक, परामर्श और रेफरल सेवाएं प्रदान करके किशोरों के व्यापक स्वास्थ्य मुद्दों को संबोधित करने के लिए मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल / सीएच / सीएचसी / पीएचसी स्तर पर "नई दिशा केंद्र" के रूप में नामित 109 किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लीनिक (एएफएचसी) स्थापित किए गए हैं। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, 148634 किशोरों को पंजीकृत किया गया और उन्हें एनडीके के माध्यम से नैदानिक और परामर्श सेवाएं दी गईं।

साप्ताहिक आयरन फोलिक अनुपूरणः– इस कार्यक्रम के अंतर्गत किशोर जनसंख्या (10–19 वर्ष) में एनीमिया की व्यापकता और गंभीरता को कम करने के लिए सभी सरकारी/निजी स्कूलों में नामांकित कक्षा 6वीं से 12वीं तक के किशोर–किशोरियों को साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड की गोलियां दी जा रही हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान राज्य भर में 355150 किशोरों को आईएफए गोलियां (आईएफए ब्लू) प्रदान की गईं।

सहकर्मी शिक्षक कार्यक्रम :-समुदाय में किशोरों को सहकर्मी शिक्षा (पीई) कार्यक्रम के माध्यम से कवर किया जाता है। पीई कार्यक्रम के तहत, किशोरों तक पहुँचने के लिए प्रति गाँव/1000 जनसंख्या/आशा आवास से चार सहकर्मी शिक्षक (दो लड़के और दो लड़कियाँ) चुने जाते हैं। पीई कार्यक्रम मंडी, चंबा और शिमला जिले के 10 चयनित ब्लॉकों में चलाया जाता है और पीई का चयन और प्रशिक्षण किया जाता है। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान 348 पीई का चयन और प्रशिक्षण किया गया है।

मासिक धर्म स्वच्छता कार्यक्रम :-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने एनएचएम के माध्यम से राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) के तहत 10–19 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों में मासिक धर्म

स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए मासिक धर्म स्वच्छता योजना (एमएचएस) को मंजूरी दी है। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, राज्य भर में इस कार्यक्रम के तहत कुल 321504 किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए गए।

स्कूल स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम:- आरकेएसके के तहत आयुष्मान भारत– स्कूल स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम राज्य भर के सभी सरकारी मिडिल, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में लागू किया जा रहा है। प्रत्येक स्कूल में दो शिक्षकों, अधिमानत एक पुरुष और एक महिला को प्रशिक्षित किया गया और उन्हें ''स्वास्थ्य एवं कल्याण राजदूत'' के रूप में नामित किया गया ताकि वे अपने–अपने स्कूलों में साप्ताहिक घंटे के सत्र लेकर दिलचस्प गतिविधियों के रूप में स्वास्थ्य संवर्धन और रोग निवारण संबंधी जानकारी दे सकें। इस पहल के तहत कुल 4797 स्कूलों को कवर किया जा रहा है।

(xi) राष्ट्रीय दृष्टि विहीनता नियन्त्रण कार्यक्रम

वर्ष 2024–25 के दौरान मार्च 2025 तक कुल 50059 मोतियाबिंद सर्जरी के ऑपरेशन मरीजों पर किए गए हैं। इस कार्यक्रम के तहत व्यापक नेत्र देखभाल प्रदान करने के उद्देश्य से संशोधित नीति लागू की गई है। इस वर्ष के दौरान, पिछले वर्ष की तरह अंतर–नेत्र लेंस के उपयोग को बढ़ावा देने, मोतियाबिंद सर्जरी के रिकॉर्ड को बनाए रखने, दृष्टि बहाली में गुणवत्ता आदि पर विशेष जोर दिया गया है।
वर्ष 2024–25 में मार्च 2025 तक प्रत्यारोपण के लिए 34 आंखें एकत्र की गई हैं।

Financial Status 2024-25		
FMR Code	Approved Fund	Expenditure
87	25000000	2409817
88	5000000	530000
89	10000000	0
90	0	0
91	0	0
92	600000	56,000
93	1750000	6770000
94	1050000	217195
95	1200000	115870
96	200000	135744
Total	44800000	10234626

बधिरता की रोकथाम और नियंत्रण के लिए **नियन्त्रण कार्यक्रम**
राष्ट्रीय बधिरता नियंत्रण कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश राज्य में वर्ष 2010 में शुरू किया गया था।
• यह कार्यक्रम राज्य के सभी जिलों में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत पूरे राज्य में बधिरता की रोकथाम के लिए जागरूकता फैलाई जा रही है।

• इस कार्यक्रम के तहत 31 मार्च 2025 तक अपने बधिरता की जांच करवाने वाले कुल 1339 लोगों में से 233 को श्रवण यंत्रों की सिफारिश की गई।

• राज्य में 23–29 सितंबर 2024 तक अंतरराष्ट्रीय बधिरता सप्ताह और 23 September 2024 अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस का आयोजन किया गया।

• लोगों में बधिरता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य में 3 मार्च 2025 को विश्व श्रवण दिवस का आयोजन किया गया।

Financial Status 2024-25		
FMR Code	**Approved Funds**	**Expenditure**
121	1300000	277480
122	5000000	2210000
123	0.00	4000
Total	**6300000**	**2491480**

(xii) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (National Mental Health Programme)

जिला स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य उपचारात्मक सेवाओं को मजबूत करने के लिए सितम्बर 2020 को हिमाचल प्रदेश में जिला मानसिक स्वास्थ्य टीमों को अधिसूचित किया गया है। डीएमएचटी मानसिक स्वास्थ्य पर सार्वजानिक जागरूकता पैदा करने के साथ–साथ मानसिक स्वास्थ्य रोग का शीघ्र पता लगाने और उपचार के लिए जिम्मेदार होगा ।

टेली मानस कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 10 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया था तथा हिमाचल प्रदेश में यह टेली मानस कार्यक्रम सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था ।

मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन 14416 टेलीमानस कार्यक्रम के तहत अवसाद, चिंता, संकट आदि जैसे स्वास्थ्य मुद्दों पर परामर्श सेवाएं प्रदान कर रही है । एनएमएचपी के तहत आज 31.3.2025 तक कुल 4936 काल प्राप्त हुई है ।

लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर जागरूक करने के लिए हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और 26 जून को नशीली दवाओं के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है ।

अप्रैल से 31 मार्च तक ओपीडी में 67,661 मानसिक रोगी देखे गए ।

Financial Status 2024-25		
FMR Code	Approved Bidget	Expenditure
97	1800000	979423

(xiii) परिवार नियोजन कार्यक्रम

परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत राज्य में लोगों को पी0एच0सी0 स्तर तक पुरूष और महिला नसबंदी सेवाऐं प्रदान की जा रही हैं । बच्चों में अन्तर रखने के लिए कई तरह की विधियां उपलब्ध करवाई जा रही हैं जैसे

कि गर्भ निरोधक गोलियां, आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियां, पोस्ट पार्टम आईयूसीडी (पोस्ट पार्टम आईयूसीडी, इंटरवल आईयूसीडी), कंडोम और अन्तरा इंजेक्शन इत्यादि ।

वर्ष 2024–25 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 3999 महिला नसबंधी और 378 पुरूष नसबंधी ऑपरेशन किए गए। 1481 पी0पी0 आई0 यू0 सी0 डी0, 139 पी0 ए0 आई0 यू0 सी0 डी0 और 5691 आई0 यू0 सी0 डी0 लगाई गई। प्रदेश में 3252596 कंडोम, 11760 आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियां और 230584 गर्भनिरोधक गोलियॉ बांटी गईं। प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में 8284 इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव–अंतरा का उपयोग किया गया है।

(xiv) एसपीरेशनल जिलें व ब्लॉक कार्यक्रम

एसपीरेशनल जिलें व ब्लॉक कार्यक्रम:- देश के दूरदराज और कम विकसित जिलों और ब्लॉकों में नागरिक के जीवन की गुणवताको बढाने और सेवा वितरण में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए चलाया जा रहा है। यह कार्य देश में चल रही योजनाओं के अन्तर्गत उनके परिणामों को समझने तथा उन की निगरानी कर के किया जाता है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के एसपीरेशनल जिलें **(चम्बा, किन्नौर, कुल्लु और शिमला)** व ब्लॉक (**पांगी, तीसा, पूह, निरमंड, चोहारा और कुपवी**) आतें हैं । इस कार्यक्रम के Key performance Indicators (KPIs) निम्नलिखित हैः–

1. गर्भवति महिलाओं का पहले तीन महीनों मे पंजीकरण।
2. संस्थागत प्रसव का पंजीकरण।
3. कम वजन वाले शिशु का पंजीकरण।
4. टीबी सफलता दर।
5. गैरसंचारीरोगों (मधुमेहऔर रक्तचाप) के रोगों के मरीजों की पहचानकरना।
6. 9 से 11 माह के बच्चों को BCG+DPT3+OPV3+Measles 1 काटीकाकरण किया जा रहा है।

(xv) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम(National Leprosy Eradication Programme)

यह कार्यक्रम प्रदेश में 1954–55 में कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम के रूप में चलाया गया और उस समय इस रोग के लगभग 9000 मामले थे। उस समय इस रोग के उपचार के लिए केवल एकमात्र दवा डी. डी.एस. थी। वर्ष 1983 में इस कार्यक्रम को कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम में परिवर्तित किया गया। उस समय राज्य के 12 जिलों में से 6 जिले कुष्ठ नियन्त्रण इकाइयों द्वारा नियन्त्रित किए जाते थे और अन्य छः जिले सर्वेक्षण, शिक्षा एवं उपचार केन्द्रों द्वारा। वर्ष 1994 में भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक की सहायता से बहुऔषधीय उपचार की पद्धति शुरू की गई और जिला–स्तर पर, जिला कुष्ठ सोसाइटियों का गठन किया गया। इस पद्धति के अन्तर्गत उपचार का कार्य जिला–समितियों को दिया गया। समस्त प्रदेश में दवाइयों के

वितरण के लिए स्थान निर्धारित किए गए और यह क्रम 1997–98 में पूर्ण किया गया। वर्ष 1996 में प्रदेश के समस्त जिलों को बहुऔषधीय उपचार के अर्न्तगत लाया गया ।

प्रदेश में वर्ष 1999 से 2003 तक 4 कुष्ठ विलोप अभियान चलाये गये । इन अभियानों के परिणाम इतने उत्साहजनक रहे कि लोगों ने ऐच्छिक तौर पर अपने रोग के बारे में रिपोर्ट करवाना शुरू कर दिया जबकि इससे पहले लोग रोग को छुपाते थे ।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य–स्तर पर कुष्ठ समिति का गठन कर दिया गया है। इस कार्य को पूर्ण–तौर पर सामान्य स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली के साथ जोड़ दिया गया है। कुष्ठ रोगियों के लिए सभी स्वास्थ्य संस्थानों में दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

वर्ष 2024–25 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य गतिविधियों का ब्यौरा इस प्रकार हैः–

	लक्ष्य	पी.बी.	एम.बी.	योग
31.3.2025 तक पंजीकृत मामलों की संख्या	....	11	140	151
वर्ष के दौरान नए खोजे गए मामलों की संख्या 2024–25	....	10	122	132
1.4.2024 से 31.3.2025 तक नए मामलों की संख्या जिनका बहु–औषधी उपचार शुरू किया गया।	.....	10	122	132
1.4.2024 से 31.3.2025 तक विलोप (RFT) किए गए मामलों की संख्या	.....	9	141	150
वर्ष के अन्त मे उपचाराधीन मामलों की संख्या	.....	5	117	122
रिलैप्स तथा अन्य राज्यों से आये मामलों की संख्या	.....	0	29	29
वर्ष के अन्त में कुल उपचाराधीन मामलों की संख्या		5	140	145

कार्यक्रम से सम्बन्धित सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण गतिविधियां इस प्रकार की गई :–

संख्या	मद	उपलब्धि
1	रैली तथा वैनर प्रचार ।	45
2	स्वंय सहायता वाले समूह के लिए बैठकों का आयोजन।	402
3	पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के लिए आई.पी.सी. कार्यशालाओं का आयोजन।	744
4	प्रभावी व्यक्तियों तथा नेताओं के लिए आई.पी.सी. बैठकों का आयोजन ।	892

प्रशिक्षण

संख्या	मद	उपलब्धि
1	नव–नियुक्त चिकित्सा अधिकारी 1 दिवसीय प्रषिक्षण	162
2	स्वास्थय पर्यवेक्षक/स्वास्थय कार्यकर्ता 2 दिवसीय प्रषिक्षण	47
3	आशा कार्यकर्ता को प्रषिक्षण	3000

(xvi) राष्ट्रीय क्षय–रोग उन्मुलन कार्यक्रम (National T.B. Elinimation Programme)

यह कार्यक्रम, प्रदेश में 1 सैनाटोरियम, 12. जिला क्षयरोग केन्द्रों, 78 क्षयरोग यूनिट, 253 माइक्रोस्कोपिक केन्द्रो, 107 नॉट लैव, 1 आई0आर0एल0 और 2 सी0 एवं डी0एस0टी0 लैब के माध्यम से चलाया जा रहा है ।

भारत सरकार द्वारा विश्व–बैंक की सहायता से संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम वर्ष 1995 में जिला हमीरपुर में पॉयलट प्रौजेक्ट के रूप में शुरू किया गया। इस पॉयलट प्रौजेक्ट के आधार पर राज्य के सभी जिलों को इस परियोजना के अन्तर्गत चरणबद्ध तरीके से लाया गया ।

i) प्रथम चरण :– हमीरपुर, कांगड़ा तथा मण्डी ।

ii) द्वितीय चरण :– शिमला, सिरमौर तथा सोलन।

iii) तृतीय चरण :– बिलासपुर, चम्बा, किन्नौर, कुल्लू, लाहुल–स्पिति तथा ऊना ।

राष्ट्रीय क्षय–रोग उन्मुलन कार्यक्रम के उद्देश्य :–

i) 90 % से अधिक दर से फेफड़ों की टी.बी. रोगियों का इलाज करना।

ii) 90% से अधिक नये बलगम पोजिटिव रोगियों की पहचान करना ।

राष्ट्रीय टी.बी. उन्मुलन कार्यक्रम के 5 मुख्य पहलू हैं:–

i) राजनैतिक एवम् प्रशासनिक वचन–बद्धता, जिसमें धन–राशि तथा स्टाफ को मुहैया करवाया जाना सुनिश्चित करना।

ii) सभी रोगियों का सूक्ष्मदर्शी निरीक्षण करना।

iii) अल्पावधि इलाज की बढ़िया किस्म की दवाओं की सप्लाई को बाधित न होने देना।

iv) स्वास्थ्य विभाग के प्रति उत्तरदायी प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा सीधी ईलाज सुविधा प्रदान करना।

v) उत्तरदायित्वता से कार्यक्रम का निरीक्षण करना।

वर्ष 2024 में अन्य उपलब्धियां इस प्रकार से हैं:

i)	चैस्ट सिम्पटोमैटिक मामलों की संख्या जिनको डाइगनोज किया गया ।	17,52,821
ii)	नये पॉजिटिव मामलों की संख्या जिनको कार्यक्रम के अन्तर्गत डॉट उपचार में डाला गया।	16,054

iii)	कुल क्षय रोगियों की संख्या जिनको उपचार हेतु डाला गया	16,156
iv)	रोगियों की संख्या जिनको डक्ट उपचार हेतु डाला गया	378

	भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य		
1	मामले खोजने की दर	>70%	99%
2	ईलाज दर	>85%	88%
3	मृत्यु दर	<4%	5%
4	असफलता दर	<4%	2%
5	अकरण दर (Default Rate)	<5%	3%

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय समय सीमा से पहले राज्य से तपेदिक (टी0 बी0) को खत्म करने का लक्ष्य तय किया है। इस उद्देष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने 24 मार्च 2018 को ऊना में एक बड़े सार्वजनिक समारोह में मुख्यमंत्री क्षय रोग औपचारिक रूप से योजना का शुभारंभ कर प्रदेश में लागू किया है।

- प्रदेश में 80 स्वास्थ्य खंड हैंः वर्तमान में राज्य में 73 (CBNAAT) और 66 (TRUENAAT) हैं। राज्य के पास 1 स्वास्थ्य ब्लॉक में कम से कम 1 NAAT सुनिश्चित करने की योजना है, राज्य चरणबद्ध तरीके से करेगा। राज्य का UDST प्रदर्शन भारत में उच्चतम में से एक है। अब राज्य पारंपरिक माइक्रोस्कोपी के स्थान पर निदान के NAAT की ओर बढ़ने की योजना बना रहा है, इसलिए अधिक NAAT मशीनों की आवश्यकता होगी। CTD से CBNAAT Cartridges की आपूर्ति सुनिश्चित करने का अनुरोध है।
- हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक डीआरटीबी रोगियों को अब उपचार की पूरी अवधि के लिए पूरक पोषण के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 1500/- रुपये मिलते हैं। यह निक्षय पोषण योजना के over and above मिलते हैं। 31 मार्च 2025 तक पात्र एमडीआर टीबी रोगियों को 48.36 लाख रु. वितरित किए जा चुके हैं।
- अब तक 94% लाभार्थियों को एनपीवाई लाभ दिया गया है। 36.20 करोड़ रुपये की राशि का एनपीवाई लाभ अब तक भुगतान किया गया है।
- राज्य ने टीबी मुक्त हिमाचल ऐप नामक एक ऐप विकसित किया है, यह गूगल प्ले स्टोर में मुफ्त में उपलब्ध है। यह ऐप एक बिंदु मंच है, जहां उपयोगकर्ता को तपेदिक के लक्षणों और लक्षणों के बारे में जानकारी मिलती है, संबंधित एलटी के साथ निकटतम नैदानिक सेवाओं (डीएमसी और सीबीएनएएटी) का

विवरण मिलता है। ऐप में आईईसी गतिविधि, उपचार पालन और साइड इफेक्ट की पहचान और प्रबंधन पर वीडियो भी अपलोड किए गए हैं।

- प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालयों पर ग्राम पंचायत पदाधिकारियों (प्रधान, उपप्रधान और ग्राम पंचायत सचिव) के लिए टीबी मुक्त हिमाचल पर विशेष जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- सरकार राज्य मे सामान्य आबादी के बीच जागरूकता फैलाने के लिए, राज्य भर के स्वास्थ्य ब्लॉकों में नुक्कड नाटक आयोजित किए गए थे।
- निजी क्षेत्र में टीबी उन्मूलन के लिए राज्य ने वहां तक पहुंचने वाले रोगियों के लिए टीबी देखभाल के मानकों को सुनिश्चित करने और उनके जेब खर्च को कम करने के लिए निजी क्षेत्र को संलग्न करने के लिए योजना विकसित की है।
- आज तक राज्य ने टीबी मामले की अधिसूचना में 98 प्रतिशत का लक्ष्य हासिल कर लिया है।
- राज्य ने रविवार को एसीएफ गतिविधि शुरू की है, जिसमें आशा प्रत्येक रविवार को एक आशा क्लस्टर गांव में लगभग 80–100 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग करती है। आशा को राज्य योजना से 100 रुपये/गतिविधि दिवस का भुगतान किया जा रहा है।
- Total 6 सीबीएनएएटी मशीनों को 5 उप–जिला मेडिकल कॉलेज में खरीदा और स्थापित किया गया है।
- इस योजना से 11 आयुर्वेदिक अस्पतालों में नामित सूक्ष्म केंद्र (डीएमसीएस) स्थापित किए गए। राज्य ने राज्य भर में सभी आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों और आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों के लिए अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए और आयुर्वेद विभाग से भी योगदान बढ़ रहा है।
- राज्य ने टीबी रोगियों की सहायता के लिए 3 विशेष योजनाएं शुरू की हैं। हिमाचल प्रदेश में सितंबर 2016 से सभी डीआरटीबी रोगियों को हिम न्यूट्रीमिक्स नामक एक विशेष कैटेबल फॉर्मूलेशन के रूप में पूरक पोषण मिल रहा है।
- सीटी स्कैन और एमआरआई जैसे उन्नत रेडियोलॉजिकल परीक्षण या तो मुफ्त निदान के तहत या कार्यक्रम के तहत कवर नहीं किए जाते हैं। इसके माध्यम से एचपी राज्य 2019 से सभी टीबी मामलों के लिए सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन की लागत को कवर करता है।
- टीबी मुक्त अभियान हिमाचल अभियान पखवाड़ा का आयोजन किया गया, 109356 लाख से अधिक जनसंख्या का परीक्षण किया गया, 52,220 थूक परीक्षण किया गया, 8,50.6 चेस्ट एक्स रे किया गया, 14,220 CB-NAAT परीक्षण किए गए और इस अभियान में कुल 196 नए टीबी रोगियों का निदान किया गया।
- आयुर्वेद विभाग औपचारिक रूप से टीबी मुक्त हिमाचल अभियान में लगा हुआ है। आयुर्वेद विभाग से 68 डॉक्टर। मास्टर ट्रेनरों के रूप में राज्य स्तर पर प्रशिक्षित, अब ये मास्टर ट्रेनर राज्य भर में जिला स्तर पर और प्रशिक्षण आयोजित कर रहे हैं।

- हर अस्पताल में एयरबोर्न संक्रमण नियंत्रण सहायता डेस्क (URI कॉर्नर) की स्थापना की गई, ताकि देखभाल संस्थानों के भीतर बीमारी के संचरण को रोकने में मदद मिल सके।
- भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य को टीबी कार्यक्रम के तहत देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में सम्मानित किया है।

(xvii) राष्ट्रीय एम्बुलैंस सेवा (National Ambulance Service)

स्वास्थ्य सम्बन्धी आपातकालीन परिस्थिति में पहला घण्टा अति महत्वपूर्ण है यदि इस समय में प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध हो तो बहुमूल्य जीवन बचाया जा सकता है। इसी उद्देश्य के लिए ये योजना 2010 से शुरू की गई थी अब पूरे राज्य में यह सेवाएं प्रदान की जा रही है। प्रदेश में जिला सोलन के धर्मपुर में आपातकालीन सुविधा केन्द्र विभिन्न कार्य कर रहा है जिसमें कि विभिन्न आपातकालीन कॉल सुनी जाती है और आपाताकालीन में चिकित्सक द्वारा EMT को जरूरत पडने पर उचित सलाह देते है । आपातकालीन सुविधा केन्द्र में क्षेत्रवार सभी रोगी वाहनों का ब्यौरा उपलब्ध है तथा कॉल प्राप्त होने के पश्चात् घटना स्थल पर शीघ्र अति शीघ्र रोगी वाहन को उपलब्ध करवाया जाता है। इस आपातकालीन सुविधा केन्द्र में सभी दूरभाष नम्बरों, मोबाईल नम्बरों से टॉल फ्री (Toll Free) नम्बर 108 पर कॉल की जा सकती है।

इस योजना पर **वर्ष 2024–25** में **रू0** 3748.04 लाख **करोड़ परिचालन** तथा सम्बन्धित खर्च (Provisional) व्यय किये गये हैं।

योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 में विभिन्न सेवाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

सेवाओं का ब्यौरा	कुल सेवाएं
रोगी वाहन सेवा प्राप्त की गई	135197
(मेडिकल सम्बन्धी)	126528
गर्भावस्था सम्बन्धित	20466
ट्रॉमा (सड़क दुर्घटनाएं)	5025
श्वास सम्बन्धी रोग	14230
हृदय रोग सम्बन्धित	10163
पुलिस केस सम्बन्धी	7831
आग लगने के मामले	838

<u>निःशुल्क वाहन की सुविधा</u> JSSK 102

गर्भावस्था के दौरान घर से स्वास्थ्य संस्थान आने के लिए राष्ट्रीय एम्बुलैंस स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत निःशुल्क एम्बुलैंस सेवा 108 व जटिलता होने पर एक स्वास्थ्य संस्थान से दूसरे स्वास्थ्य संस्थान

तक निःशुल्क एम्बुलैंस सेवा तथा वापिस घर पहुंचाने के लिए जननी एक्सप्रैस 102 वाहन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

प्रदेश में एक 148 जननी शिशु सुरक्षा योजना (JSSK) एम्बुलैंसें है इसके माध्यम से गत वर्ष 2024–25 में प्रदेश में 61261 लाभार्थियों को निःशुल्क घरवापसी सेवा प्रदान की गई है जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है ।

क्रम संख्या	सेवा ब्यौरा	सेवा संख्या
1	Total No. of 102 NAS Ambulance	148
2	Total Beneficiaries Served	61261
3	Total Drop Backs	24318
4	Total Pick Ups	240
A	Drop Back - New Mothers	22172
B	Drop Back - Infants	320
C	Drop Back - Neonates	1523
D	Drop Back - Sterilization Patients	298
F	Dropback - COVID Recovered Patients	0
G	Trips - COVID-19 Sampling	55

बाइक एम्बुलैस

हिमाचल प्रदेष सरकार ने दिनांक 06.10.2020 को चार नए फर्स्टरिस्पोंडर बाइक एम्बुलैस का शुभारम्भ किया, जो जरूरतमंद मरीजों को त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए मंडी और धर्मषाला शहर में तैनात किया गया है । फर्स्टरिस्पॉन्डर बाइक सर्विस को टोल फ्री नम्बर 108 पर कॉल किया जाता है यह बाइक एम्बुलैस के साथ साथ पुर्व अस्पताल देखभाल ,सुविधाओं जैसे दवाईयां चिकित्सा उपभोग समाग्रियों और चिकित्सा उपकारणों से सुसज्जित है जो रोगियों के स्थिरीकरण के लिए आवष्यक है ।

बाइक एम्बुलैस का मुख्य उदेष्य चार पहिया एम्बुलैस के लिए दुर्गम क्षेत्रों तक पहुच प्राप्त करना और यातायात की स्थिति में जल्द से जल्द पहुचना था। पिछले वर्षो के आकडें बताते है कि षिमला शहर में ई. एम. मामलों में फोर व्हीलर एम्बुलैस की तुलना में बाइक एम्बुलैस सात मिनट पहले पहुचाती है । अब तक इन बाइक एम्बुलैसों ने 6336 लाभार्थियों को आपातकालीन सेवाएं प्रदान की है ।

अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रम

(i) राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम (National Aids Control Programme)

राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य वर्ष 1985 में पॉयलट कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया। वर्ष 1986 में चेन्नई (मद्रास) में एच.आई.वी. संक्रमण का पहला मामला प्रकाश में आया। वर्ष 1987 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एड्स कमेटी गठित की गई। एड्स कार्यक्रम में तीन मुख्य भाग जैसे चौकसी, रक्त सुरक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा सम्मिलित किए गए। वर्ष 1992 में इस कार्यक्रम को विश्व बैंक की वित्तीय सहायता तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन की तकनीकी सहायता से सुदृढ़ीकरण किया गया।

प्रदेश में यह कार्यक्रम वर्ष 1992 में केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया। राज्य में एच. आई.वी. का प्रथम पौजिटिव मामला वर्ष 1987 में पाया गया। यह विदेशी सैलानी था और वर्ष 1990 में दो और पॉजिटिव मामले प्रकाश में आए और ये भी विदेशी नागरिक थे। प्रदेशवासियों में से प्रथम पॉजिटिव मामला वर्ष 1992 में पाया गया और वह जिला हमीरपुर का निवासी था । इसके बाद राज्य के अन्य जिलों से भी ऐसे मामले प्रकाश में आए। वर्ष 2024–25 में प्रदेश में 4,08,689 ब्लड सीरम के नमूनों की जांच की गई जिनमें से 780 मामले एच.आई.वी. अनुकूल पाए गए। इनमें से 66,535 गर्भवती महिलाओं में से 19 गर्भवती महिलाओं को एच.आई.वी. अनुकूल पाए गए। अनुकूल पाए गए मामलों में से 85 प्रतिशत से भी ज्यादा मामले जिला हमीरपुर, कांगड़ा, शिमला, मण्डी, ऊना, बिलासपुर तथा सोलन जिले के हैं।

इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य :–

1. एच.आई.वी. के संक्रमण से रोकथाम
2. ब्लड सेफटी के तरीकों में सुधार लाना
3. एच.आई.वी. की रूग्णता तथा मृत्यु दर को कम करना
4. एच.आई.वी. तथा एड्स से उत्पन्न सामाजिक एवं आर्थिक प्रतिकूल प्रभाव को कम करना

कार्यक्रम प्रबन्धन

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना तथा विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए राज्य में 15 मई, 1998 को राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाईटी का गठन किया गया। सचिव (स्वास्थ्य) इस सोसाईटी के अध्यक्ष हैं। सोसाईटी इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने, कार्यान्वयन, मौनिटरिंग एवं मूल्यांकन के लिए जिम्मेवार है। जिला–स्तर पर इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए प्रत्येक जिले में एड्स कार्यक्रम अधिकारी अधिसूचित किये गये हैं। ये अधिकारी मुख्य तौर पर जिले में कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाई जा रही गतिविधियों के प्रति जिम्मेवार हैं।

- **प्राथमिक लक्षित हस्तक्षेप**

वर्ष 2024–25 के दौरान, राज्य में गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से 18 लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाएं कार्य कर रही थीं, यह लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाएं महिला यौनकर्मियों के लिए, नशीली दवाओं के उपयोगकर्ताओं के लिए, उच्च जोखिम वाले प्रवासियों के लिए और समग्र कोर (MSM/ Migrant/Trucker & FSW) के लिए कार्यकर रही है।

गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाओं की उपलब्धी

Indicators	FSW	MSM	IDU	TG	Migrant	Truckers
कवरेज	10938	1660	4006	149	76521	10619
एचआईवी परीक्षण	19762	2987	7166	196	15135	4625
एचआईवी पॉजिटिव	22	28	81	0	49	8
एआरटी	17	23	61	0	45	6

- क्षेत्रीय अस्पताल ऊना और सिविल अस्पताल नूरपुर में दो ओएसटी केंद्र और दो सैटेलाइट ओएसटी केंद्र अंब में और तालीवाल जिला ऊना में काम कर रहा है। कुल 630 ग्राहक दवा ले रहे हैं और लिंक्ड TI SAHYOG के माध्यम से रेफर कर रहे हैं।
- एचआईवी परीक्षण और उद्योगों के भीतर काम कर रहे प्रवासियों के बारे में जागरूकता के उद्देश्य से राज्य में 15 नियोक्ता नेतृत्व मॉडल काम कर रहा है।
- हिमाचल प्रदेश की सभी जेलों में एचआईवी/एसटीआई/नशीले पदार्थों के सेवन पर सत्रों के माध्यम से 9089 कैदियों को जागरूक किया गया। 7939 की एचआईवी परीक्षण किया गया और 8960 की टीबी की जांच की गई जिसमें से 21 कैदियों को एचआईवी पॉजिटिव पाये गये।

एकीकृत स्वास्थ्य अभियान (12 अगस्त से 12 अक्टूबर 2024)

एकीकृत स्वास्थ्य अभियान (आईएचसी)– एचआईवी, एसटीआई, टीबी और हेपेटाइटिस बी और सी की जांच/परीक्षण और उपचार से जुड़ाव तथा मधुमेह, उच्च रक्तचाप और एनीमिया के निदान के लिए "जोखिम में पड़ी आबादी" तक पहुंचने के लिए राज्य में निम्नलिखित आबादी को कवर किया गया।

Indicators	HIV	Syphilis	Hep B	Hep C	TB
Screened	7884	6260	6309	6183	6840
Detected Positive	7	12	23	68	128

नियंत्रण कार्यक्रम एस.टी.आई./आरटीआई क्लीनिक (डीएसआरसी)

एड्स कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में रोग का पता लगाने तथा उपचार करने के लिए राज्य में आर.टी.आई./एस.टी.आई. के 20 क्लीनिक कार्यरत हैं। जोकि जिला स्तर के चिकित्सालयों में 12 तथा मैडीकल कॉलेज टांडा, इन्दिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला तथा कमला नेहरू चिकित्सालय शिमला, ई0एस0आई0 चिकित्सालय परवाणु, नागरिक चिकित्सालयों पालमपुर, रामपुर (खनेरी) और रोहडू तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नालागढ़ में स्थित हैं।

कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष के दौरान की गई गतिविधियों का ब्यौरा इस प्रकार से हैः–

क्र0स0	एस.टी.आई/ आर.टी.आई गतिविधियां	उपलब्धियां

1.	एस.टी.आई/ आरटीआई क्लीनिक में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या	101467
2.	वी.डी.आर.एल. / आर.पी.आर. परीक्षण की संख्या	86861
3.	इनमें से जितने मामले सकारात्मक पाए गए	334
4.	सकारात्मक नमूनों की प्रतिशतता	0.38

प्रदेश में एस.टी.आई. के उपचारालयों के सुदृढ़ीकरण करने के लिए राष्ट्रीय एड्स संगठन तथा राज्य एस.टी.डी. संगठन द्वारा दवाईयां तथा प्रयोगशालाओं में प्रयोग होने वाले पदार्थों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाया जा रहा है। एस.टी.डी. तथा एड्स रोग से बचाव तथा नियन्त्रण के उद्देश्य से सभी एस.टी.आई. उपचारालयों में निरोध मुफ्त उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। एड्स रोग से बचाव के लिए सभी एस.टी.आई. क्लीनिकों में डिस्पोजेबल सिरिंजों का प्रयोग किया जा रहा है।

निरोध कार्यक्रम को प्रोत्साहन

एड्स नियन्त्रण प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अच्छे गुणवत्ता–युक्त निरोध उपलब्ध करवाने के लिए निम्न पग उठाए गए हैं:–

(i) निजी तथा गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से निरोध का वितरण किया जा रहा है तथा हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम के अधीन आने वाले सभी परचून डिपो, पैट्रोल पम्प, नाई की दुकान, सुलभ शौचालय, बस अड्डे के माध्यम से निरोध वितरित किये जा रहे हैं।

(ii) एस.टी.डी. रोगियों को आर.टी.आई. क्लीनिकों के माध्यम से निरोध उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

(iii) निरोध के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से टारगैटिड इन्टरवैंशन परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

(iv) गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से डिलक्स निरोध को बढ़ावा देने के लिए सोशल मार्केटिंग प्रारम्भ की गई और इन संगठनों के माध्यम से निरोध बेचे जा रहे हैं ।

सुरक्षित रक्त

राज्य के सभी जिला अस्पतालों, सुरक्षित रक्त उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सभी 18 ब्लड बैंकों का आधुनिकीकरण किया गया है। ब्लड बैंकों में अच्छी कार्यकुशलता को सुनिश्चित करने के लिए ब्लड बैंकों को सभी जरूरी उपकरण, दवाईयां तथा जरूरी वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इंदिरा गांधी मैडीकल कॉलेज, डॉ.आर.पी.जी.एम.सी. टान्डा और आंचलिक चिकित्सालय मण्डी में ब्लड कॉम्पोनैन्ट सैपरेशन यूनिट की स्थापना की गई है।

वर्ष 2024–25 में ब्लड बैंक की गतिविधियों का ब्यौरा इस प्रकार है :–

1. कुल रक्त यूनिट जो एकत्रित किए गये : 54368
2. स्वैच्छिक रक्त दान मामलों की संख्या : 50349
3. रक्त यूनिट का कुल प्रतिस्थापन : 4019
4. स्वैच्छिक रक्त दान मामलों की प्रतिशतता : 93%
5. रक्त दान शिविर आयोजित किये गये : 689

एकीकृत परामर्श तथा जांच केन्द्रः

- 2024–25 के दौरान, राज्य में 55 एकीकृत परामर्श तथा जांच केन्द्र स्टैंड अलोन –आईसीटीसी काम कर रहे थे जो लोगों को परामर्श और परीक्षण सेवाएं प्रदान कर रहे थे।

- हिमाचल प्रदेश के दूरदराज के इलाकों में एचआईवी जांच की सुविधा प्रदान करने के लिए 2 मोबाईल आईसीटीसी वैन काम कर रही हैं।

- राज्य के सभी पीएचसी, सीएचसी और उप–केंद्र एएनसी और सामान्य ग्राहकों के लिए एचआईवी जांच सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं और साथ ही हिमाचल प्रदेश में 4 सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी–आईसीटीसी के माध्यम से एचआईवी परीक्षण सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

- कुल 4,08,689 व्यक्तियों की जांच की गई और 780 एचआईवी पॉजिटिव पाए गए, इनमें से 66,535 गर्भवती महिलाओं में 19 एच.आई.वी. पॉजिटिव पाए गए।

समुदाय आधारित स्क्रीनिंग (सीबीएस):

वर्ष 2024–25 में सामुदायिक आधारित स्क्रीनिंग (सीबीएस) शुरू की गई है, इस अभियान के तहत कुल 266 शिविर आयोजित किए गए। अभियान के परिणाम निम्नलिखित हैं :–

Indicators	HIV	Syphilis	Hep B	Hep C	TB
जाँच	17267	8819	15756	14039	7062
Detected Positive	1	7	27	83	1

देखभाल सहायता केंद्र

वर्ष 2024–25 के दौरान, पीएलएचआईवी के लिए विस्तारित और समग्र देखभाल और सहायता सेवा प्रदान करने के लिए हमीरपुर और शिमला में 2 देखभाल सहायता केंद्र (सीएससी) कार्यरत थे।

एंटी रेट्रोपवायरल उपचार केन्द्र

वर्ष 2024–25 के दौरान एड्स रोगियों को उपचार और दवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य में आईजीएमसी शिमला, आर.एच हमीरपुर, नेर चौक मण्डी, मडिकल कालेज नाहन, और डॉ. आर.पीजीएमसी टांडा. AIIMS बिलासपुर. MMU सोलन में 7 एआरटी 2 एफ–एआरटी, बिलासपुर और ऊना और 5 लिंक एआरटी केंद्र कुल्लू, पालमपुर, देहरा, सोलन और नालागढ़ में कार्यरत थे। 31 मार्च 2025 तक 6149 पी.एल.एच.आई.वी जीवित हैं और एआरटी पर हैं।

हिमाचल प्रदेश में सभी एआरटी का विवरण

संकेतक	शिमला	हमीरपुर	टांडा	ऊना	मण्डी	बिलासपुर	नाहन	कुल पी.एल. एच.ए.
ए.आर.टी. ले रहे पी.एल. एच.आई.वी. की संख्या	1043	1438	1764	818	630	360	96	5645

हिमाचल प्रदेश में एड्स नियन्त्रण समिति की कल्याण योजनाएं

- एच0आई0वी/ एड्स के साथ जी रहे व्यक्तियों को वित्तीय सहायता 1,500 रू प्रतिमाह

- एच0आई0वी0/ एड्स के साथ जी रहे व्यक्तियों और उनके एक सहयोगी को एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी में उपचार के लिए आने–जाने का बस किराया सरकार द्वारा दिया जाता है। जिससे वह अपने जीवन को लम्बे समय तक जी सकते हैं। यह सहायता प्रदेश में स्थित 6 एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी केन्द्रों द्वारा प्रदान की जा रही है, ताकि इन्हें बिना व्यवधान उपचार मिल सके व उपचार सुचारू रूप से किया जा सके।

- एड्स के साथ जी रहे व्यक्तियों के बच्चों व अनाथों को शिक्षा एवम् अन्य जीवनयापन सम्बन्धित आवश्यकताओं के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता योजना वर्ष 2007–2008 से शुरू की गई थी। इस योजना के तहत एड्स के साथ जी रहे व्यक्तियों के बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक निम्नलिखित आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है:–

0–3 वर्ष तक	300/रु0 प्रतिमाह
4–6 वर्ष तक	400/रु0 प्रतिमाह
7–9 वर्ष तक	500/रु0 प्रतिमाह
10–12 वर्ष तक	600/रु0 प्रतिमाह
13–15 वर्ष तक	700/रु0 प्रतिमाह
16–18 वर्ष तक	800/रु0 प्रतिमाह

- चिकित्सक की सलाह पर प्रदेश सरकार द्वारा एच0 आई0 वी0/एड्स के साथ जी रही महिलाओं के नवजात शिशु को एक वर्ष तक दूध पाऊडर मुफ्त दिया जाता है, ताकि नवजात शिशु को एच0आई0वी0/एड्स मां का दूध न उपलब्ध होने की स्थिति में पर्याप्त पोषक आहार मिल सके।

- न्युट्रिशिनल किट (ओटस/आटा बिस्कुट) 100 ग्राम प्रति दिन प्रति बच्चा को एक साथ एक माह के लिए (ART Centre) के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है।

- उच्च जोखिम समूह के लिए विशेष महिला उत्थान योजना महिला एवम् बाल विकास विभाग के सहयोग से चलाई जा रही है।

सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण एवम् जागरूकता अभियान

हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी (एचपीएसएसीएस) ने 2024–25 में विभिन्न आईईसी गतिविधियाँ और जागरूकता अभियान चलाए, जिनमें शामिल हैं:–

प्रसारण और टेलीकास्ट

- अखिल भारतीय रेडियो और निजी एफएम चौनलों के माध्यम से एचआईवी/एड्स पर 4168 स्पॉट प्रसारित किए गए।
- निजी टीवी चौनलों और दूरदर्शन केंद्र शिमला के माध्यम से एचआईवीध्एड्स की रोकथाम पर 389 स्पॉट प्रसारित किए गए।

रेड रिबन क्लब

- कॉलेजों में 309 कार्यात्मक रेड रिबन क्लब, 2024–25 में 14 नए क्लब खोले जाएंगे।
- जिला एड्स कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षित सहकर्मी और युवा नेता।

आउटडोर विज्ञापन

- रणनीतिक स्थानों पर 58 किराये के होर्डिंग और 20 स्थायी होर्डिंग लगाए गए।
- एचआरटीसी बसों पर 250 पूर्ण बस पैनल और 702 आंतरिक बस पैनल प्रदर्शित किए गए।
- राज्य स्तरीय बैंकर समिति के माध्यम से 500 सूचना पैनल प्रदर्शित किए गए।

डिजिटल मीडिया

- बीएसएनएल के माध्यम से 24 लाख बल्क एसएमएस भेजे गए।
- बीएसएनएल के माध्यम से 84746 वॉयस मैसेज भेजे गए।
- वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर सक्रिय सोशल मीडिया उपस्थिति।

मुख्यधारा में लाना और प्रशिक्षण

- 143 प्रशिक्षण आयोजित किए गए, जिनमें 14500 से अधिक लोगों को एचआईवीध्एड्स के बारे में जागरूक किया गया।
- सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और संगठनों के साथ सहयोग।
-

कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं

- जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर रेड रिबन क्लबों के लिए क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई।
- एचआईवी/एड्स संदेशों वाली 4061 कार्बाइन और 2572 ऑटो हुड डिस्प्ले का वितरण।

इन गतिविधियों का उद्देश्य लोगों में एचआईवी/एड्स के बारे में जागरूकता पैदा करना और रोकथाम को बढ़ावा देना था।

(ii) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY)

आयुष्मान भारत–प्रधान मन्त्री जन आरोग्य योजना

- आयुष्मान भारत– प्रधान मन्त्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना का आरम्भ 23 सितम्बर, 2018 को किया गया है।

- प्रदेश के 5.32 लाख परिवारों को इस योजना में शामिल किया गया है

- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
- लाभार्थी इस योजना का लाभ पूरे देश में किसी भी पंजीकृत अस्पताल में प्राप्त कर सकते हैं।

- आयुष्मान भारत–प्रधान मन्त्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 3227 उपचार प्रकियाओं को शामिल किया गया है।

- इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 में 73187 लोगों का निःशुल्क ईलाज किया गया है। जिन पर 112.19 करोड़ रुपये का खर्च आया है।

मुख्य मन्त्री हिमाचल हैल्थ केयर योजना–हिमकेयर

- जो परिवार आयुष्मान भारत या अन्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना में नहीं आते उनके लिए प्रदेश सरकार के अभिनव प्रयासों से हिमकेयर योजना आरम्भ की है। इस योजना का आरम्भ 1 जनवरी, 2019 से किया गया।

- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

- इस योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवार तथा पंजीकृत रेहड़ी–फड़ी, मरनेगा कार्यकर्ता, वरिष्ठ नागरिक जिनकी आयु 70 वर्ष से अधिक है और बालाश्रमों में रह रहे अनाथ बच्चे जिनका नाम आयुष्मान भारत में नहीं है, से किसी भी तरह का प्रीमियम नहीं लिया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत 365 रुपये का प्रीमियम More than 40% disabled, Ekal Naari, Anganwari Workers, Anganwari Helpers, Mid Day meal Workers, Part Time Workers, Daily Wage Workers, Contract Employees, Outsource Employees, ASHA के लिए निर्धारित किया गया है। अन्य परिवार 1000 रुपये देकर इस योजना में कार्ड बनवा सकते हैं।

- हिमकेयर योजना में 31 मार्च, 2025 तक 614756 लाख परिवारों ने पंजीकरण करवाया है

- योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 3227 उपचार प्रकियाओं को शामिल किया गया है।

- लाभार्थी स्वयं www.hpsbys.in वैबसाईट पर जाकर अपना कार्ड बनवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अस्पतालों में भी कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त सामान्य सेवा केन्द्रों (Common Service Centre/Lok Mitra Kenra) के माध्यम से भी कार्ड जारी करने का कार्य किया जा रहा है जिसके लिए लाभार्थी प्रति परिवार 50 रुपये का शुल्क अदा कर रहा है।

- हिमकेयर योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 में 2.08 लाख लाभार्थियों ने 313.26 करोड़ रुपये की निःशुल्क ईलाज की सुविधा का लाभ उठाया है।

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष

प्रदेश ने जरूरतमंद गरीब लोगों को जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, सहायता प्रदान करने हुेत मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष का गठन किया है। कोष का शुभारम्भ दिनांक 20 अक्तूबर, 2018 को किया गया है। कोष के अन्तर्गत सहायता हेतु वार्षिक आय सीमा 1 लाख 50 हजार रुपये है लेकिन हृदय रोग, रीढ़ की हड्डी के उपचार, कैंसर, किडनी प्रत्यारोपण, मस्तिष्क सम्बन्धित बीमारी ईत्यादि के लिए आय सीमा नहीं है। कोष से ईलाज के लिए वित्तीय वर्ष 2024–25 में 944 जरूरतमंद गरीब लोगों को ईलाज के लिए 4.09 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है।

मुख्यमन्त्री सहारा योजना

प्रदेश में मुख्य मन्त्री सहारा योजना का क्रियान्वयन दिनांक 15 जुलाई, 2019 से किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य लम्बी अवधि तक कुछ एक निर्दिष्ट रोगों जैसे Parkinson's, Malignant Cancer Disease, Paralysis Disease having permanent disability taking treatment for long basis or bed ridden, Muscular Dystrophy, Haemophilia, Thalassemia, Acute or chronic Renal failure or any other disease which renders a person permanently incapacitated से पीड़ितों के उपचार के दौरान रोगियों व उनके परिचरों को आने वाली वित्तीय और अन्य समस्याओं से निजात दिलाना है। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को प्रति माह 3000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में लाभार्थियों को 75.49 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

(iii) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण प्रणाली (Birth and Death Registration)

जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम (आरबीडी अधिनियम) को 1969 में पूरे देश में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण में एकरूपता और तुलनात्मकता को बढ़ावा देने और उसके आधार पर महत्वपूर्ण आंकड़ों के संकलन के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम के अधिनियमित होने के साथ ही भारत में जन्म, मृत्यु और मृत जन्म का पंजीकरण अनिवार्य हो गया है। केंद्र सरकार के स्तर पर भारत के महापंजीयक (आरजीआई) पूरे देश में पंजीकरण की गतिविधियों का समन्वय और एकीकरण करते हैं। हालांकि, इस कानून का क्रियान्वयन राज्य सरकार के पास है । देश में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है।

राज्य–स्तर पर

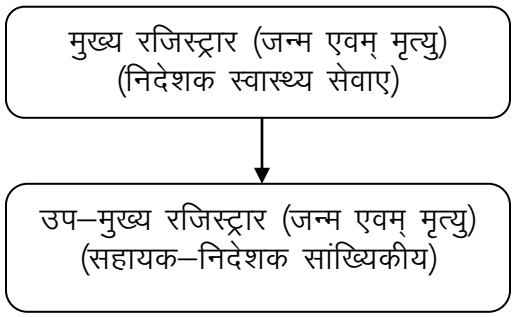

जिला–स्तर

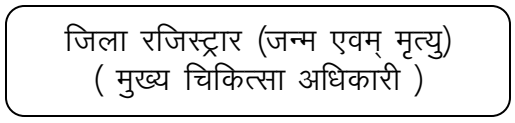

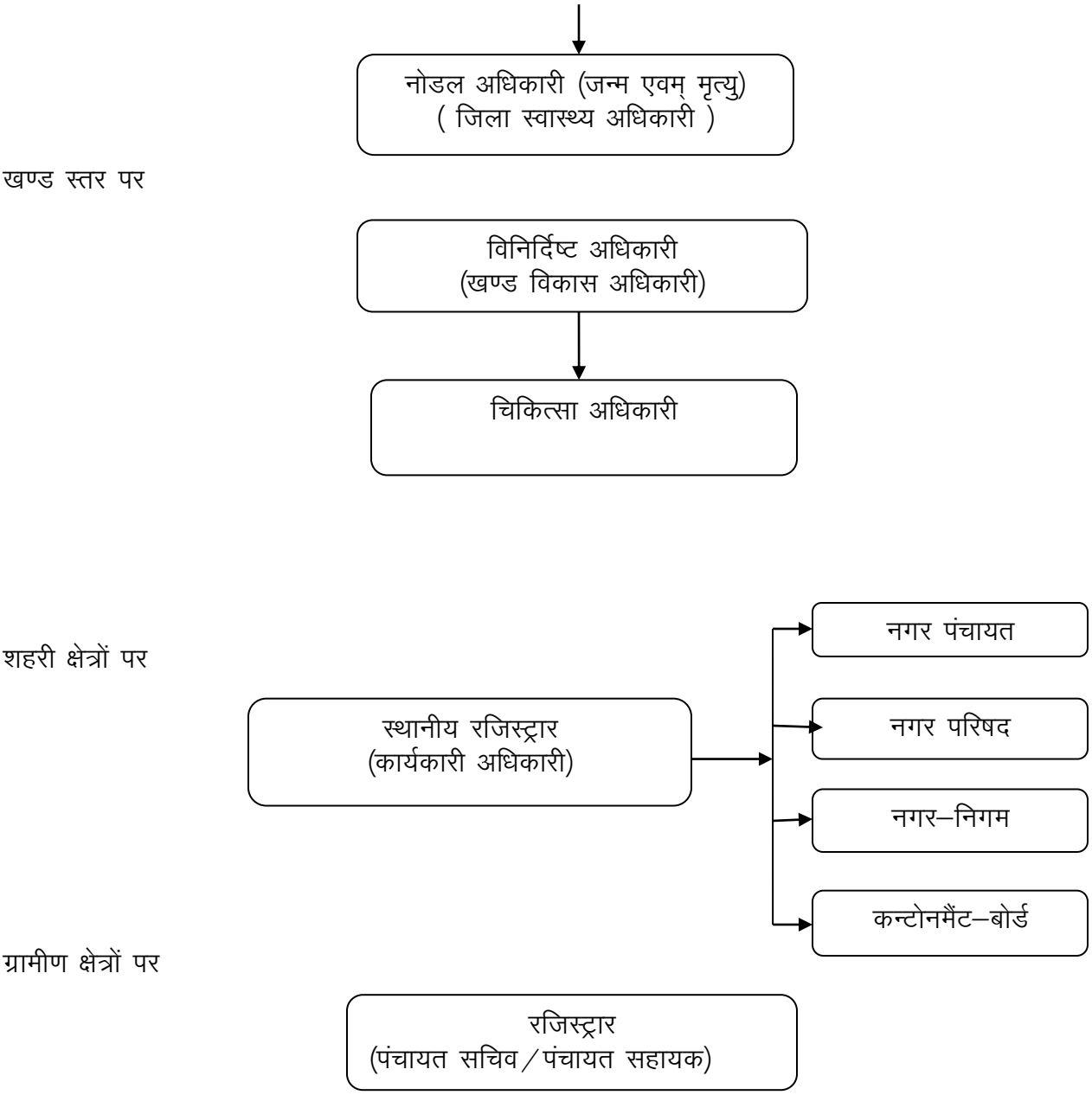

वर्ष 2015–16 में हिमाचल प्रदेश के समस्त आंचलिक चिकित्सालयों, क्षेत्रीय चिकित्सालयों, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय चिकित्सालयों के अतिरिक्त समस्त नागरिक चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को भी जन्म–मृत्यु पंजीकरण इकाई के रूप में खोला गया है तथा संस्थान के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को रजिस्ट्रार (जन्म व मृत्यु) नियुक्त किया गया है, ताकि लोगों को चिकित्सालय में हुए जन्म व मृत्यु के प्रमाण–पत्र वहीं से प्राप्त हो सकें।

वर्ष 2015 में भारत के महापंजीयक नई दिल्ली द्वारा विकसित आनलाईन नागरिक पंजीकरण प्रणाली के वेब पोर्टल www.crsorgi.gov.in को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। तदोपरान्त इसे शहरी क्षेत्रों में 1 मई, 2015 से व ग्रामीण क्षेत्रों में 1 जुलाई, 2015 से लागू किया गया। वर्ष 2024 में वेब पोर्टल www.crsorgi.gov.in को अद्यतन कर दिया गया है और पुनोत्थान करके वेब पोर्टल का पता बदलकर dc.crsorgi.gov.in कर दिया गया। इसके अन्तर्गत प्रदेश में 1 जनवरी, 2024 से 31 दिसम्बर 2024, तक 88,201 जन्म व 46,453 मृत्यु का ऑनलाईन पंजीकरण किया गया है।

जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम को 2023 में संशोधित किया गया और जन्म और मृत्यु पंजीकरण संयोधित अधिनियम 2023 भारत के राजपत्र में 13.09.2023 को छपने के बाद 01.10.2023 को पूरे भारत में लागु किया गया। तदानुसार हिमाचल प्रदेश जन्म और मृत्यु पंजीकरण नियम 2003 को संशोधित किया गया व 13.01.2025 को इसकी अधिसूचना जारी की गई। हिमाचल प्रदेश जन्म और मृत्य संशोधित नियम 2024 हिमाचल प्रदेश राजपत्र में छपने के उपरांन्त 17.01.2025 को लागु किये गए।

जन्म प्रमाण पत्र अब विभिन्न प्रयोजनों लिए 1 अक्तूबर, 2023 को या उसके बाद जन्मे व्यक्ति की जन्म तिथि और स्थान को प्रमाणित करने वाला एकमात्र दस्तावेज है।

(iv) सूचना, शिक्षा एवम् सम्प्रेषण कार्यक्रम (IEC Programme)

स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालन से सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों की समितियों का एकीकरण किया जा चुका है। परिणामस्वरूप सभी आई.ई.सी. गतिविधियां भी मिशन के सौजन्य से संचालित की जा रही हैं। जिला स्तर पर सभी समितियां आई.ई.सी. के सहयोग से गतिविधियां संचालित कर रही हैं और खंड स्तर पर खण्ड चिकित्सा अधिकारी के मार्गदर्शन द्वारा पर्यवेक्षक और स्वास्थ्य शिक्षक एकजुट होकर राष्ट्रीय कार्यक्रमों को प्रदेश के कोने–कोने में विस्तार से इन कार्यक्रमों की जानकारी द्वारा लोगों की सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं ताकि लोगों को विभाग द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों की पूर्ण जानकारी हो और वे इसका पूरा–पूरा लाभ उठा सकें। स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय कार्यक्रमों की जानकारी लोगों तक स्वास्थ्य शिक्षा, स्थानीय मेलों, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में प्रदर्शनी द्वारा, फोक मीडिया शो, परामर्शदाता शिविर, रेडियो विज्ञापन, स्वास्थ्य दिवस पर खंड और जिला स्तर पर गतिविधियों का संचालन और दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित विविध कार्यक्रम सैमिनार और कार्यशालाओं द्वारा पंहुचाई जाती है। स्वास्थ्य दिवस के मौके पर प्रतिमाह राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत पूरे प्रदेश में राज्य, जिला व खण्ड स्तर पर विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण के द्वारा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है । जिसमें विभाग में बनी समितियां कार्यक्रमों में व्यय करती है और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के उद्देश्य अनुसार जनता की प्रतिभागिता सुनिश्चित करती है। पूरे वर्ष गतिविधियों का संचालन मिशन में उपलब्ध बजट व योजना में स्वीकृत गतिविधियों पर निर्भर करता है। केन्द्रीय सरकार की सभी प्रचार शाखाएं व जनसूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग अपने स्तर पर भी मिशन की गतिविधियों को प्रचारित कर रहे हैं ।

वर्ष 2024–25 के अंतर्गत सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण कार्यक्रम (IEC)

क्रम संख्या	गतिविधियां	टिप्पणी
1.	प्रकाशन माध्यम	सूचना एवम् जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से विभिन्न अखबारों में एवं विभाग द्वारा मेगज़ीन व स्मारिकाओं में नियमित रूप से तथा विशेष अवसरों जैसे– स्वास्थ्य दिवस व बीमारियों जैसे–स्क्रब टायफस, स्वाईन फ्लू के प्रकोप में विज्ञापन जारी किए गए। अखबारों में स्वास्थ्य सम्बन्धित समाचारों का प्रतिदिन निरीक्षण करती है और नकारात्मक खबरों की विभागीय जांच होती है।
2.	जन संचार माध्यम (टेलीविजन / रेडियो विज्ञापन)	दूरदर्शन, जनता टीवी, न्यूज 18– पंजाब, हरियाणा, हिमाचल एवम् सिटी चैनल, शिमला के माध्यम से अनेक कार्यक्रमों व बीमारियों से संबन्धित विज्ञापन व वार्ताएं प्रसारित की गयीं। प्रसार भारती–अखिल भारती रेडियो, एफ एम शिमला, रेडियो मिर्ची एवं बिग एफ एम से विभिन्न कार्यक्रमों व बीमारियों से संबन्धित जिंगल, हैलो डॉक्टर

क्रम संख्या	गतिविधियां	टिप्पणी
		व रेडियो डॉक्टर कार्यक्रमों का नियमित व विशेष अवसरों जैसे–स्वास्थ्य दिवस व बीमारियों जैसे–स्क्रब टाईफस, स्वाईन फ्लू के प्रकोप में प्रसारण किए गए।
3.	डिजिटल मीडिया	विभिन्न वैब पोर्टल एवम् हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में विभिन्न कार्यक्रमों से संबन्धित विज्ञापन पट्टिकाएं लगायी गयीं तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम के कंप्यूट्रीकृत यात्री सूचना प्रणाली के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों से संबन्धित विज्ञापनों के जिंगल प्रसारित किये गए।
4.	स्वास्थ्य दिवसों का आयोजन	राज्य, जिला व खण्ड स्तर पर आयोजन जिसके अंतर्गत रैली, स्वास्थ्य दौड़, स्कूली बच्चों के लिए पोस्टर व पेन्टिंग प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, जन–जागरूकता कार्यक्रम प्रसारित किये गए।

वर्ष के दौरान सूचना शिक्षा एवम् सम्प्रेषण गतिविधियों में लगभग 516 लाख रु0 खर्च किए गए।

13. प्रशिक्षण कार्यक्रम (Training Programme)

प्रदेश में चिकित्सा संस्थाओं में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की कमी को पूरा करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय शिमला, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मैडिकल कॉलेज टांडा (कांगड़ा) राज्य संस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, परिमहल शिमला, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र छैब (कांगड़ा), जिला चिकित्सालयों, खण्ड स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस वर्ष विभिन्न वर्गों के प्रशिक्षणार्थियों को निम्न स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

(i) राज्य संस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिमहल शिमला में 2024–25 में प्रशिक्षण गतिविधियों का ब्यौरा इस प्रकार है :–

क्रम संख्या	प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षण की अवधि (दिनों में)	संख्या जो प्रशिक्षित किए गए	दलों की संख्या जो प्रशिक्षित किए गए
1.	आईडीएसपी/एनवीबीडीसीपी/एनआरसीपी की समीक्षा सह प्रशिक्षण	2	47	1
2.	दक्ष प्रशिक्षण	5	163	9
2.	सीआरएस, एमसीसीडी और एएलबीआर पर कार्यशाला	4	58	1
3.	आपदा प्रबंधन पर टीओटी सह अभिविन्यास कार्यक्रम	5	47	1
4..	हिमाचल प्रदेश राज्य दंत चिकित्सा परिषद की बैठक	1	15	1
5.	सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीपीएचएम) का क्षेत्रीय दौरा	5	10	1
6.	स्वस्थ जन्म कार्यक्रम पर टीओटी	4	16	1
7.	प्रथम प्रतिक्रियाकर्ताओं के लिए व्यावहारिक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	1	10	1
8.	आरटीआई अधिनियम, 2005 और पीएसजी अधिनियम 2011 से संबंधित पीआईओ का दो दिवसीय प्रशिक्षण	2	26	1
9.	क्षमता निर्माण अभ्यास के रूप में एक दिवसीय प्रशिक्षण	1	17	1

	कार्यक्रम			
10.	जैव चिकित्सा उपकरण रखरखाव कार्यक्रम की बैठक	1	5	1
11.	डीटीओ, डीटीसी स्टाफ और बीएमओ एनटीईपी कार्यक्रम से युक्त 2 दिवसीय टीओटी	2	43	1
12.	डीएलएन/एसएलएन/पीएलएचआईवी की क्षमता निर्माण	2	76	1
13.	नयी दिशा केंद्र (आरकेएसके)	5	61	2
14.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारी/ कर्मचारी की समीक्षा बैठक	1	49	1
15.	पीआरआई–सीबीओ के तहत वीपीआरपी प्रशिक्षण	2	11	1
16.	हिमाचल प्रदेश राज्य फार्मेसी परिषद की बैठक	1	16	1
17.	हिमाचल प्रदेश आयुर्वेदिक फार्मेसी एसोसिएशन की बैठक	1	64	1
18.	एचआईवी/एड्स रोकथाम पर एक दिवसीय अभिविन्यास बैठक	1	18	1
19.	बोर्न हेल्दी वर्कशॉप (आरए और एक्शन प्लानिंग)	1	44	2
20.	वृद्धजन, उपशामक और एमएनएस देखभाल के लिए टीओटी	6	27	1
21.	हिमाचल प्रदेश में सीआरएस पदाधिकारियों को प्रशिक्षण	1	51	1
22.	जागरूकता कार्यशाला प्रशिक्षण पदार्थ उपयोग विकार (नशे की लत)	2	32	1
23.	तदर्थ समिति की बैठक (वित्तीय लेखापरीक्षा पैरा)	3	223	2
24.	स्कूल स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम के लिए राज्य मास्टर ट्रेनर	4	45	1
25.	राज्य शुभारंभ और अभिविन्यास बैठक (TIFA)	1	55	1
26.	मंडी जोन की समीक्षा बैठक	1	39	1
27.	आपातकालीन प्रबंधन एसयूडी में एमओ का प्रशिक्षण	2	30	1
28.	एफएचडब्ल्यू को एफएचएस के पद पर पदोन्नति प्रशिक्षण	15	40	1
29.	लैब तकनीशियनों का परामर्श	5	10	1
30.	विंग्स स्केल अप पर सलाहकार कार्यशालाएँ	2	34	1
31.	एनटीईपी के तहत वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर 2 दिवसीय राज्य टीओटी	2	46	1
32.	निकुष्ठ पोर्टल 2.0 (एनएलईपी) के लिए राज्य टीओटी	1	37	1
33.	आपातकालीन प्रबंधन पर राज्य मंत्री का 2 दिवसीय प्रशिक्षण	2	21	1
34.	आयुष औषधि निरीक्षण और नियंत्रण विनियामक प्रवर्तन के लिए पुनः अभिमुखीकरण सह विनियामक क्षमता निर्माण	3	31	1
36.	पुलिस, आईटीबीपी, एसएसबी होमगार्ड और एनसीसी के लिए एचआईवी/एड्स पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	1	27	1
37.	प्रसवोत्तर देखभाल प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (सीसीपी)	2	36	1
38.	आपातकालीन देखभाल प्रबंधन के लिए चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण	2	17	1

39.	स्टाफ नर्सों के लिए रोगी सुरक्षा, कौशल संवर्धन प्रशिक्षण	5	16	1
40.	सीएचओ,एचएस के लिए उपशामक देखभाल पर प्रशिक्षण	6	30	1
41.	स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों के लिए कार्यक्रम गतिविधि, समन्वय, रिपोर्टिंग, निगरानी और मूल्यांकन	5	17	1
42.	एचपीबीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड की 45वीं बोर्ड बैठक	1	19	1
43.	एनटीईपी के तहत राज्य टास्क फोर्स की बैठक	1	23	1
44.	अभिनव प्रशिक्षण चर्चा बैठक	1	7	1
45.	जन आरोग्य स्मृति पर टीओटी	2	42	1
46.	शासी निकाय (Governing body) की बैठक	1	42	1
47.	एनटीईपी की समीक्षा बैठक	1	35	1
48.	नियमित टीकाकरण प्रशिक्षण	1	88	2
49.	हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संयुक्त सचिव का प्रशिक्षण	6	14	1
50.	टीआईएफए परियोजना के संबंध में एसडीएएमओ, आयुष चिकित्सा अधिकारी विभाग पीपीए का प्रशिक्षण	1	52	1
51.	एमओ और डीएसआरसी परामर्शदाताओं की बैठक	1	28	1
52.	एचएमआईएस पर मोबाइल स्वास्थ्य ऐप के लिए जिला	1	27	1
53.	देखभाल साथी कार्यक्रम	1	171	3
54.	ज्ञान बढ़ाने के लिए नर्सिंग कर्मियों का प्रशिक्षण	3	31	1
55.	HBYC पर 3 दिवसीय टीओटी	3	18	1
56.	FHW का प्रचारात्मक प्रशिक्षण	15	75	2
57.	एनएचएम कार्यक्रम अभिविन्यास सहित चिकित्सा अधिकारियों के लिए योग्यता संवर्धन	5	20	1
58.	स्वस्थ जन्मे एएनसी प्रशिक्षण	3	59	2
59.	जीआरसी पर कर्मचारियों और कैडर का प्रशिक्षण	1	30	1
60.	चिकित्सा अधिकारियों के लिए योग्यता वृद्धि प्रशिक्षण	5	13	1
61.	रोगी सुरक्षा पर स्टाफ नर्सों के लिए कौशल संवर्धन	5	29	2
62.	महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों का प्रचारात्मक प्रशिक्षण	15	57	1
63.	स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों के लिए कार्यक्रम गतिविधि समन्वय, रिपोर्टिंग, निगरानी और मूल्यांकन	5	12	1
64.	चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रेरण प्रशिक्षण	7	23	1
65.	लिपिक कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	3	55	2
66.	रोगी सुरक्षा, प्रयोगशाला उपकरण अंशांकन, प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए प्रयोगशाला एक्सपोजर	2	35	1
67.	वार्ड सिस्टर/मैट्रन के लिए नर्सिंग नेतृत्व और वार्ड प्रबंधन प्रशिक्षण	2	32	1
68.	नवनियुक्त स्टाफ नर्सों के लिए अभिविन्यास सह फाउंडेशन कोर्स	5	26	1
69.	एनएचएम कार्यक्रम अभिविन्यास सहित चिकित्सा अधिकारी का प्रेरण प्रशिक्षण	5	17	1

70.	वीएचएसएनसी और विश्वास के लिए जिला टीओटी का प्रशिक्षण	2	39	1
71.	फार्मेसी अधिकारियों के लिए प्रिस्क्रिप्शन, डिस्पेंसिंग, इन्वेंट्री प्रबंधन और 3 आरएस प्रशिक्षण	5	86	4
72.	रोगी सुरक्षा, प्रयोगशाला उपकरण अंशांकन, एलटी के लिए प्रयोगशाला एक्सपोजर	2	45	2
73.	एनपीपीसीएचएच प्रशिक्षण	3	27	1
74.	स्टाफ नर्सों के लिए एनएचएम कार्यक्रम अभिविन्यास सह फाउंडेशन कोर्स	5	34	2
75.	डेटा और विश्लेषणात्मक गुणवत्ता पर व्यावहारिक पुनश्चर्या प्रशिक्षण	2	39	1
76.	बीएमओएस के लिए वित्तीय प्रशासन और कार्यालय प्रक्रियाएं और एनएचएम कार्यक्रम अभिविन्यास	5	18	1
77.	फार्मेसी अधिकारियों को परामर्श	4	10	1
78.	एनसीडी में 2 दिवसीय राज्य टीओटी	2	42	1
79.	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रमोशनल प्रशिक्षण	15	38	1
80.	एनएलईपी पर प्रशिक्षण	3	29	1
81.	एमओ (दंत चिकित्सा) का प्रेरण प्रशिक्षण	3	19	1
82.	आरसीएच पोर्टल पर प्रशिक्षण	1	30	1
83.	एसएन के लिए एनएचएम ओरिएंटेशन सह फाउंडेशन कोर्स	5	20	1
84.	टेलेस्टोक पर प्रशिक्षण	1	14	1
85.	एनवीबीडीसीपी पर प्रशिक्षण	1	19	1
86.	एनएचएम लेखाकार और एमआरओ का प्रशिक्षण	2	56	1
87.	स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों के लिए कार्यक्रम गतिविधि, कार्यान्वयन, समन्वय, निगरानी और मूल्यांकन	5	23	1
88.	संशोधित पीएमडीटी दिशानिर्देश 2024 और बीपीएएलएम (एनटीईपी) का परिचय	2	47	1
89.	राज्य टास्क फोर्स की बैठक और आंतरिक शारीरिक	1	33	1
90.	एनपी–एनसीडी के लिए एनएएफएलडी में जिला टीओटी	1	40	1
91.	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक का प्रशिक्षण	5	40	1
92.	एमओ के लिए नशामुक्ति प्रशिक्षण	2	30	1
93.	आशा सुविधाकर्ताओं के लिए जिला टीओटी	3	37	1
94.	एनक्यूएएस पर आंतरिक एक्सेसर्स प्रशिक्षण	2	53	1
95.	संशोधित कायाकल्प दिशानिर्देश 2024 और एनक्यूएएस पर राज्य स्तरीय टीओटी	1	43	1
96.	मुस्कान टीओटी	1	36	1
97.	एमएचडब्ल्यू का प्रचारात्मक प्रशिक्षण	15	28	1

(ii) क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र छैब कांगड़ा में 2024–25 में प्रशिक्षण गतिविधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:–

क्र. सं.	प्रशिक्षण का ब्यौरा	संख्या जो प्रशिक्षित किए गए	दलों की संख्या जो प्रशिक्षित किए गए	प्रशिक्षण की अवधि (दिनों में)
1	चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रशासन और वितीय प्रबंधन प्रशिक्षण	26	1	2
2	मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के लिए प्रशासन और वितीय प्रबंधन प्रशिक्षण	30	1	2
3	सीएचओ के लिए इंडक्शन मॉडयूल प्रशिक्षण	176	6	20
4.	एमओ (आरकेएस) के लिए नई दिशा केंद्र	56	1	4
5.	एनटीईपरी के तहत डीटीओ, डीटीसी स्टाफ और बीएमओ/ ब्लॉक एनटीईपी स्टाफ के दो दिवसीय टोट बैच के संबध में	29	1	1
6.	स्टाफ नर्सों व दाइयों के लिए दक्ष प्रशिक्षण	38	5	5
7.	चिकित्सा अधिकारियों के लिए इंडक्शन मॉडयूल प्रशिक्षण	64	3	6
8.	जिले के पैरामेडिकल स्टाफ के लिए प्रशिक्षण	24	1	6
9.	स्टाफ नर्सों के लिए रोगी सुरक्षा कौशल वृद्वि और व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण	107	4	5
10.	मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के लिए प्रशासन और वितीय प्रबंधन प्रशिक्षण	22	1	5
11	स्टाफ नर्सों लिए दक्ष प्रशिक्षण	13	1	5
12.	लैबोरेटरी टेकनीशियन के लिए रोगी सुरक्षा उपकरण अंशाकन और प्रयोगशाला एक्सपोजर	76	3	3
13.	फार्मेसी अधिकारियों के लिए प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंडिंग इन्वेंटरी प्रबंधन और 3 आर (Right drugs, right patients, right dose) प्रशिक्षण	98	3	3
14.	स्वास्थ्य कर्मियों के क्षमता निर्माण स्वास्थ्य कार्यक्रम और रिकॉर्ड रखरखाव प्रशिक्षण	32	1	5
15.	आरकेएस कार्यक्रम के तहत नई दिशा केंद्रों के पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण	31	1	5
16.	मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के लिए प्रशासन और वितीय प्रबंधन प्रशिक्षण	31	1	3
17.	स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों के लिए गतिविधि समन्वय रिपोर्टिंग निगरानी और मूल्यांकन प्रशिक्षण	35	2	5
18.	मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के लिए प्रशासन और वितीय प्रबंधन प्रशिक्षण	22	1	3
19.	स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयन सामुदायिक प्रक्रिया और स्वास्थ्य शिक्षकों एमईआईओ के लिए आईईसी योजना	21	1	5
20.	एनएचएम कार्यक्रम के अभिमुखीकरण के साथ एमओ का	39	2	5

	योग्यता संवर्धन प्रशिक्षण			
21.	नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों के लिए एनएचएम ओरिएंटेशन – सह–फाउंडेशन पाठयक्रम	23	1	5
22.	मैट्रन के लिए नर्सिंग नेतृत्व और वार्ड प्रबंधन प्रशिक्षण	77	3	3
23.	नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रेरण प्रशिक्षण	16	1	6
24.	एनएलईपी के तहत राज्य स्तरीय उन्मूखीकरण प्रशिक्षण	18	1	3
25.	2024 के लिए राज्य स्तरीय संशोधित पीएमडीटी दिशानिर्देश	43	1	2
26.	रक्त सेवा और विकार कार्यक्रम के तहत एमओ और एनएलटी के लिए प्रशिक्षण	10	1	3
27.	सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण टैक्सी चालको, छात्रों, ढाबा मालिको और ग्रमीणों के लिए	57	1	1
28.	जन आरोग्य समिति के लिए ब्लॉक टी0ओ0टी0	58	1	2
29.	एसए– आईसीटीसी एवं मोबाइल आईसीटीसी परामर्शदाता की दो दिवसीय समीक्षा बैठक	22	1	2

14. प्रदेश में राज्य, जिला तथा खण्ड स्तर के कार्यालयों में दूरभाष की सूची सचिवालय स्तर पर

क्रमांक	पदनाम	कोड	कार्यालय टेलीफोन नं0
1.	सचिव (स्वास्थ्य), हि0 प्र0	0177	2621904
2.	विशेष सचिव (स्वास्थ्य), हि0 प्र0	0177	2621815
3.	संयुक्त सचिव (स्वास्थ्य), हि0 प्र0	0177	2628505
	निदेशालय स्तर पर		
4.	निदेशक स्वास्थ्य सेवायें, हि0 प्र0	0177	2621424
5.	मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हि0 प्र0	0177	2673505
6.	अतिरिक्त निदेशक (स्वास्थ्य), हि0 प्र0	0177	2628252
7.	संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य सेवायें –I	0177	2620661
8.	संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य सेवायें – II	0177	2621846
9.	संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य सेवायें – III	0177	2625726
10.	परियोजना निदेशक (एड्स नियंत्रण कार्यक्रम)	0177	2625857
11.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (आर.एस.बी.वाई.)	0177	2629802
12.	सहायक निदेशक(जनानकी एवं अनुसंधान)	0177	2621720
13.	सहायक निदेशक(सांख्यिकीय)	0177	2621720
	जिला स्तर पर		
14.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिलासपुर	01978	222586
15.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्बा	01899	222223
16.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हमीरपुर	01972	222223
17.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला	01892	224874
18.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, किन्नौर स्थित रिकांगपिओ	01786	222922
19.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुल्लू	01902	223077
20.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लाहौल–स्पिति स्थित केलांग	01900	222243
21.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मण्डी	01905	222177
22.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शिमला	0177	2657225
23.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिरमौर स्थित नाहन	01702	222543
24.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सोलन	01792	224181
25.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊना	01975	226064
	वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक		
26.	वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, टांडा (कांगड़ा)	01892	287187
27.	वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, आई.जी.एच., शिमला	0177	2658845
28.	वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, कमला नेहरू अस्पताल, शिमला	0177	2624841
29.	वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, मनोरोग चिकित्सालय, शिमला	0177	2633601
30.	वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, टी.बी.एस. धर्मपुर, सोलन	01792	264022
31.	वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, आंचलिक चिकित्सालय धर्मशाला	01892	227595, 224812
32.	वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, आंचलिक चिकित्सालय , मण्डी	01905	222928

33.	वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, आंचलिक चिकित्सालय, शिमला	0177	2759041
34.	वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, बिलासपुर	01978	221242
35.	वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, चम्बा	01899	225170
36.	वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, हमीरपुर	01972	222222
37.	वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, कुल्लू	01902	222350
38.	वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, नाहन	01702	224890
39.	वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, सोलन	01792	223638
40.	वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, ऊना	01975	223068
41.	वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, रामपुर	01782	234969
42.	वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, रोहडू	01781	240011
43.	वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, पालमपुर	01894	234101
	अन्य कार्यालय		
44.	प्रधानाचार्य राज्य संस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, परिमहल, शिमला।	0177	2620226
45.	प्रधानाचार्य क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, छैब, कांगड़ा।	01892	265472
46.	उप–लोक विश्लेषक (खाद्य) कण्डाघाट, सोलन	01792	256145
47.	सहायक औषधी नियंत्रक बद्दी, सोलन	01795	244288
	खण्ड स्तर पर		
48.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, घुमारवीं, बिलासपुर	01978	255238
49.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, मारकण्ड, बिलासपुर	01978	286026
50.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, झण्डुता, बिलासपुर	01978	272024
51.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, श्री नैना देवी जी, बिलासपुर		
52.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, भरमौर, चम्बा	01895	225044
53.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, किलाड़, चम्बा	01897	242246
54.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, पुखरी, चम्बा	01899	202952
55.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, चुड़ी, चम्बा	01899	279629
56.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, किहार (सलूनी), चम्बा	01896	247638
57.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, तीसा, चम्बा	01896	227050
58.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, समोट, चम्बा	01899	227011
59.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, टौणी देवी, हमीरपुर	01972	278434
60.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, बड़सर, हमीरपुर	01972	288034
61.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, नादौन, हमीरपुर	01972	232248
62.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, भोरंज, हमीरपुर	01972	266026
63.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सुजानपुर टिहरा, हमीरपुर	01972	272043
64.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, गलोड़, हमीरपुर	01972	242027
65.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, थुरल, कांगड़ा	01894	276634
66.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, नगरोटा बगवां, कांगड़ा	01892	252294
67.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, शाहपुर, कांगड़ा	01892	238038
68.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, गंगथ, कांगड़ा	01893	275042
69.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, इन्दौरा, कांगड़ा	01893	241239

70.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, ज्वालामुखी, कांगड़ा	01970	222237
71.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, भवारना, कांगड़ा	01894	247158
72.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, नगरोटा सूरियां, कांगड़ा	01893	265042
73.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, डाडासिबा, कांगड़ा	01970	289237
74.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, गोपालपुर, कांगड़ा	01894	252226
75.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, त्याडा, कांगड़ा	01892	232313
76.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, महाकाल, कांगड़ा	01894	265301
77.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, फतेपुर, कांगड़ा		
78.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, देहरा		
79.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, जयसिंहपुर		
80.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, निचार, किन्नौर	01786	252275
81.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, पूह, किन्नौर	01785	232338
82.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सांगला, किन्नौर	01786	242403
83.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, जरी, कुल्लू	01902	276257
84.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, नग्गर, कुल्लू	01902	248294
85.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, बंजार, कुल्लू	01903	222214
86.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, आनी, कुल्लू	01904	253334
87.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, निरमण्ड, कुल्लू	01904	255129
88.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, काज़ा, लाहौल–स्पिति	01906	222218
89.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, गौंधला, लाहौल–स्पिति	01900	252119
90.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, करसोग, मण्डी	01907	222218
91.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, जंजैहली, मण्डी	01907	256512
92.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, बगसैड़, मण्डी	01907	254225
93.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, रोहाण्डा, मण्डी	01907	274120
94.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, संधोल, मण्डी	01905	273223
95.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, बल्द्वाड़ा, मण्डी	01905	258053
96.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, रत्ती, मण्डी	01905	242296
97.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, कोटली, मण्डी	01905	281231
98.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, पधर, मण्डी	01908	260228
99.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, लड़भड़ोल, मण्डी	01908	278140
100.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, कटौला, मण्डी	01905	269451
101.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, कुमारसैन, शिमला	01782	240063
102.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, ननखड़ी, शिमला	01782	225609
103.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, कोटखाई, शिमला	01783	255327
104.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, चिड़गांव, शिमला	01781	277223
105.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, मशोबरा, शिमला	0177	2740230
106.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, मतियाणा, शिमला	01783	225222
107.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, टिक्कर, शिमला	01781	233400
108.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, नेरवा, शिमला	01783	264338
109.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, रामपुर, शिमला	01782	233602
110.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सुन्नी, शिमला	0177	2786634
111.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सराहन, सिरमौर	01799	236731
112.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, शिलाई, सिरमौर	01704	278542
113.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, संगड़ाह, सिरमौर	01702	248191
114.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, राजपुरा, सिरमौर	01704	248618

115.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, धगेड़ा, सिरमौर	01702	223097
116.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी राजगढ़ सिरमौर		
117.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, अर्की, सोलन	01796	220368
118.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सायरी, सोलन	01792	288056
119.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, धर्मपुर, सोलन	01792	264025
120.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, नालागढ़, सोलन	01795	221204
121.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, चण्डी, सोलन	01792	278555
122.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, बद्दी, सोलन		
123.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, हरोली, ऊना	01975	284022
124.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, गगरेट, ऊना	01976	241319
125.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, थानाकलां, ऊना	01975	273036
126.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, अम्ब, ऊना	01976	260274
127.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, बसदेहरा, ऊना		

यह सूचना विभागीय वेबसाईट **www.hphealth.nic.in** पर भी उपलब्ध है ।